रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 71] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 13, 2001/माघ 24, 1922

No. 71] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 13, 2001/MAGHA 24, 1922

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVERNMENT OF INDIA

महानिदेशक (रक्षोपाय) का कार्यालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2000

विषय :—भारत में मेथीलीन क्लोराइड के आयात से सम्बन्धित रक्षोपाय जाँच—अंतिम निष्कर्ष।

सा.का.नि. 94(अ).—सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियमावली, 1997 के अधीन

(क) प्रक्रिया

1. भारत में मेथीलीन क्लोराइड के आयात से सम्बन्धित रक्षोपाय जाँच शुरू करने का नोटिस 17-7-2000 को जारी किया गया था और भारत के राजपत्र असाधारण में 18-7-2000 को प्रकाशित किया गया था। नोटिस की एक प्रति सभी ज्ञात इच्छुक पक्षों को भेजी गई थी यथा :—

घरेलू उत्पादक

(1) गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड (जी ए सी एल), गुजरात

(2) केमप्लास्ट सन्मार लिमिटेड (सी एस एल), चेन्नई

(3) एस आर एफ लिमिटेड (एस आर एफ), नई दिल्ली

आयातक और उपभोक्ता उद्योग

(1) सी.जे. शाह एंड कम्पनी, मुम्बई

(2) हरेश कुमार एंड कम्पनी, मुम्बई

(3) रेनबैक्सी लेबोरेट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली

(4) ल्यूपिन लेबोरेट्रीज लिमिटेड, मुम्बई

(5) कोपरान लिमिटेड, मुम्बई

(6) डॉ. रेड्डीज लेबोरेट्रीज लिमिटेड, हैदराबाद

(7) ट्रेक्सपो ट्रेडिंग प्राइवेट लि., मुम्बई

(8) अरबिन्दो फार्मा लिमिटेड, हैदराबाद

(9) केमोक्स केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भरूच, गुजरात

(10) इन्डोसोल ड्रग्स प्राइवेट लि., अंकलेश्वर, गुजरात
(11) सिरिज लि. ,हैदराबाद
(12) रैलिस, मुम्बई
(13) यूनाइटेड फास्फोरस लि. मुम्बई
(14) सिपला लिमिटेड, मुम्बई
(15) जे.के. ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल लिमिटेड, नई दिल्ली
(16) मैक्स जी.बी. लि. चंडीगढ़

निर्यातक

(1) आई.सी.आई केमिकल्स एंड पोलीमर्स लि., यू.के.
(2) सोल्वे ए.जी. बेल्जियम
(3) एक्जो नोबेल एन वी नीदरलैंड
(4) ई.एल.एफ आटोकेम, एस.ए. फ्रांस (अब एटोफिना के रूप में जाना जाता है)
(5) हेल्म, ए.जी, जर्मनी
(6) लारा उचे इंडस्ट्रीज इंटरनेशनल एल आई आई, जर्मनी
(डाक प्राधिकारियों द्वारा अवितरित वापिस)
(7) डी ओ डब्ल्यू केमिकल्स कम्पनी, यू.एस.ए
(8) आई सी सी केमिकल्स कारपोरेशन यू.एस.ए
(9) विन्मार इंटरनेशनल लि. मुम्बई

संगठन

(1) वीरबंद दर केमिसकेन इंडस्ट्रीज, वी सी एल, जर्मनी
(2) केमिकल्स सेफ्टी मैनेजमेंट सेंटर, जापान
(3) केमिकल मैन्युफैक्चरर्स एशोसियेशन यू.एस.ए
(4) यूरोपियन क्लोरिनेटिड साल्वेट एशोसियेशन, बेल्जियम

2. आवेदन पत्र और प्रश्नावली के साथ नोटिस की एक प्रति निर्यातक देशों की सरकारों यथा बेल्जियम, ब्राजील, चीन ताइपे, फ्रांस, जर्मनी, हाँगकाँग, हंगरी, इजरायल, इटली, जापान, दी नीदरलैंड, रूस, स्पेन, स्विटजरलैंड, यू.के. और यू.एस.ए को नई दिल्ली में स्थित उनके उच्चायोगों/दूतावासों के माध्यम से भेजी गई थी ।

3. सभी ज्ञात घरेलू उत्पादकों, निर्यातकों और आयातकों को उसी दिन प्रश्नावली भी भेजी गई थी जिनसे अपने जवाब 28-8-2000 तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था ।

4. भारत में यूरोपीय संघ/यूरोपियन आयोग के प्रतिनिधि मण्डल ने भी महानिदेशक (रक्षोपाय) से उन्हें जांच में एक इच्छुक पक्ष के रूप में समझे जाने हेतु प्रार्थना की है । उनकी प्रार्थना को एक इच्छुक पक्ष के रूप में रिकार्ड पर लिया गया और उन्हें सभी संगत दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए ।

मेथीलीन क्लोराइड के घरेलू उत्पादकों में से एक, एस.आर.एफ. लि., नई दिल्ली, से दिनांक 23-10-2000 का एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के लिए आवेदकों का समर्थन किया है । उन्होंने कहा है कि उनके पास प्रतिवर्ष 10,000 मी.टन मेथीलीन क्लोराइड विनिर्माण की क्षमता है जिसका कि वे पूर्ण रूप से उपयोग कर घरेलू मांग को पूरा कर सकते हैं बशर्ते कि मूल्य लाभकारी हो ।

5. मै. जी ए सी एल और सी एस एल ने प्रश्नावली के प्रति अपने जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय बढ़ाने के लिए आवेदन किया था और तदनुसार उन्हें अपने जवाब प्रस्तुत करने के लिए 3 सितम्बर, 2000 तक की अनुमति दी गई थी ।

6. दिनांक 17-7-2000 के नोटिस एवं प्रश्नावली के उत्तर में निम्नलिखित पक्षों से जवाब प्राप्त हुए:-

घरेलू उत्पादक

(1) गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लि. (जी ए सी एल) , गुजरात
(2) केमप्लास्ट सन्मार लि. (सी एस एल) चेन्नई

निर्यातकगण

(1) एटोफिना, फ्रांस
(2) हेल्म एजी, जर्मनी
(3) आई सी आई केमिकल्स पोलीमर्स लि. यू.के. (वकील के माध्यम से)
(4) सोल्वे एस ए, बेल्जियम

निर्यातक सरकारें

(1) चीन ताइपे, (ताइपे आर्थिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र, नई दिल्ली)
(2) हंगरी गणराज्य का उच्चायोग, नई दिल्ली

आयातक और उपभोक्ता उद्योग

(1) रेनबैक्सी लेबोरेट्रीज लि., नई दिल्ली
(2) इंडोसोल ड्रग्स लि., मुम्बई

(3) अरबिन्दो फार्मा लि., हैदराबाद
(4) ल्यूपिन लेबोरेट्रीज, मुम्बई

7. जाँच के लिए आवश्यक समझी गई सूचना का सत्यापन अधिकारियों की एक टीम द्वारा किया गया और जाँच के निष्कर्ष से उन संबंधित पक्षों, जिनका दौरा किया गया था, को अवगत करा दिया गया था और जाँच रिपोर्ट की एक प्रति सार्वजनिक फाइल में रख दी गई थी ।

8. सभी इच्छुक पक्षों के लिए एक सार्वजनिक सुनवाई 3-11-2000 को आयोजित की गई थी जिसके लिए 28-9-2000 को नोटिस भेजा गया था । सार्वजनिक सुनवाई के दौरान इच्छुक पक्षों को उनके द्वारा दिए गए मौखिक तर्कों को 13-11-2000 तक लिखित में प्रस्तुत करने, अन्य पक्षों द्वारा प्रस्तुत जवाबों को 4-11-2000 तक एकत्र करने, एवं खंडन यदि कोई हो, तो उसे 27-11-2000 तक दर्ज कराने के लिए कहा गया था ।

निम्नलिखित पक्ष सार्वजनिक सुनवाई के दौरान उपस्थित थे :-

(1) गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लि., (जी ए सी एल) , गुजरात
(2) केमप्लास्ट सन्मार लि. (सी एस एल) , चेन्नई
(3) एस आर एफ लि., नई दिल्ली
(4) एटोफिना, फ्रांस
(5) आई सी आई केमिकल्स, पोलीमर्स लि., यू.के
(6) चीन ताइपे, (ताइपे आर्थिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र, नई दिल्ली)
(7) रेनबैक्सी, लेबोरेट्रीज लि., नई दिल्ली
(8) इंडोसोल ड्रग्स लि. , मुम्बई
(9) अरबिन्दो फार्मा लि., हैदराबाद
(10) ल्यूपिन लेबोरेट्रीज लि., मुम्बई
(11) यूरोपीय आयोग, नई दिल्ली *(अपने वकील के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया)

(ख) **घरेलू उत्पादकों के दृष्टिकोण**

(1) गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लि., गुजरात इंडस्ट्रियल इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन के माध्यम से गुजरात सरकार द्वारा प्रोन्नत की गई एक कम्पनी है और देश में कास्टिक क्लोराइड के सबसे बड़े उत्पादक है । कास्टिक सोडा के अलावा, कम्पनी अपने बड़ौदा और भरूच (गुजरात) संयंत्रों में सोडियम साइनाइड, क्लोरोमेथानस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्लोराइड, पोटेशियम कार्बोनेट और फास्फोरिक एसिड का भी विनिर्माण कर रही है । कम्पनी की 705 करोड़ (1992-2000) से ऊपर की बिक्री है और उसके पास लगभग 1400 कर्मचारी नियुक्त है । कम्पनी के लेखा जोखा को महानियंत्रक लेखा परीक्षा द्वारा आडिट किया जाता है ।

(2) केमप्लास्ट सन्मार लि०, सन्मार ग्रुप आफ कम्पनी के स्वामित्व वाली कम्पनी है यह दक्षिण भारत में स्थापित सबसे बड़े समूहों में से एक है । केमप्लास्ट सन्मार लि० ने अपना कार्य मई, 1967 में तमिलनाडु में सलेम के निकट मेटूर में शुरू किया । केमप्लास्ट सन्मार लि० (सी एस एल) पी वी सी रेसिन्स, क्लोरिन, क्लोरिनेटिड साल्वेटस, रेफिजरेटर्स गैस और सिलिकोन वेफर्स का विर्निमाण करती है । कम्पनी की बिक्री लगभग 400 करौड़ प्रतिवर्ष है और उनके पास लगभग 1200 की संख्या में कर्मचारी है।

(3) मेथिलीन क्लोराइड के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए आयात आंकड़ों के लिए डी जी सी आई एस के आंकड़ों का आधार लिया गया है । वर्ष 1999-2000 के लिए, कांडला में किए गए आयात से संबंधित आंकड़े है जो कि 13500 मी.टन की मात्रा पर पहुंचने हेतु बहिवैशन किया गया है ।

(4) लगभग 1996-97 तक मांग और आपूर्ति प्रतिबंधो के कारण आयात एक हद तक आवश्यक हो गया था । जैसे ही सी एस एल ने मेथिलीन क्लोराइड उत्पादित करने की अपनी क्षमता को 7500 मी.टन तक बढ़ाया वैसे ही एस आर एफ ने भी वर्ष 1997-98 में मेथिलिन क्लोराइड का उत्पादन शुरू किया । ऐसी संभावना थी कि मेथीलिन क्लोराइड का आयात धीरे-धीरे कम होगा, इसके विपरीत आयात निरन्तर रूप से 1997-98 में 7390 मी.टन से 1998-99 में 9269 मी.टन तक और 9269 मी.टन से 1999-2000 में 13500 मी टन तक बढ़ा । इसी प्रकार वर्ष 1997-98 में आयात घरेलू उत्पादन का 42.25% था जो वर्ष 1998-99 में थोड़ा सा नीचे घरेलू उत्पादन का 40.96% तक गिर गया और 1999-2000 में घरेलू उत्पादन का 59.02% तक बढ़ गया । मेथिलीन क्लोराइड का आयात गत तीन वर्षो के अंदर दो गुणा हो गया है जो कि घरेलू उत्पादकों के वार्षिक उत्पादन के 60% के करीब है और इसने उत्पाद के घरेलू मूल्यों को चुनौती दी है ।

(5) मेथिलीन क्लोराइड की अंर्तराष्टीय कीमतें पिछले पांच साल के दौरान लगातार गिर रही है। गत दो वर्षो के दौरान भारत में मेथिलीन क्लोराइड की उतराई के समय की लागत 46% तक गिरी है।

(6) क्लोरोमिथेन्स का उत्पादन एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें कि सभी तीनों उत्पादों यथा मेथिलीन क्लोराइड, क्लोरोफार्म और कार्बन टेटाक्लोराइड का उत्पाद शामिल है । उपरोक्त वर्णित तीनों उत्पादों के लिए जी ए सी एल उत्पाद मिश्रण अनुपात क्रमशः 42:36:22 है जबकि केमप्लास्ट का 45:30:25% है । यह उनकी अपने संयंत्र प्रक्रिया की विशेषताओं के कारण है और वास्तविक उत्पादन आंकड़े इन अनुपातों से अलग है ।

(7) एक विशेष क्लोरोमिथेन्स विलायक, मेथीलीन क्लोराइड जो कि एक पेंट आवरक के रूप में प्रयुक्त होता है, के प्रयोग को नियंत्रित करने हेतु यूरोप और यू एस ए में कठोर वातावरणीय विनियम है। आक्यूपेशनल सेफ्टी एण्ड हैल्थ एडमिनिस्ट्रेशन (ओ एस एच) यू एस ए और यूरोपियन युनियन एनवायरमेंट कौंसिल द्वारा वाष्पशील आर्गेनिक यौगिक (वी ओ सी) के संबंध में मेथिलीन क्लोराइड के प्रयोग प्रतिबंधित किए गए है । इसी कारण से और अपनी बढ़ती मालसूची को कम करने के लिए यूरोपीय उत्पादक अपने उत्पादनों का रूख और उनका निर्यात सुदुर पूर्व देशो और दक्षिण -पूर्व एशिया के बाजारों में कर रहे थे । यद्यपि, पूर्वी देशों की अर्थव्यवस्था में गिरावट के कारण, इन सरप्लस उत्पादनों का रूख भारत की ओर

किया जा रहा है जो कि इन अतिरिक्त उत्पादों हेतु एक उच्च ग्रहणशील बाजार हो गया है ।

(8) भारतीय पत्तनों पर उतारे जा रहे क्लोरोमिथेन्स के मूल्यों की निरंतर गिरती प्रवृत्ति के कारण बाजार में अपने उत्पाद विक्रय कर सकने हेतु भारतीय विर्निमाताओं को तदनुसार अपने मूल्य कम करने पड़े । अपने माल भण्डार को थोड़े ही समय के लिए भी अपने माल भण्डार को रोके रखने रहने के विकल्प का आधार इस उद्योग को नहीं है क्योंकि (क) क्लोरोमिथेन्स जैसे तरल उत्पादों की शेल्फ लाइफ कम है और (ख) भारतीय सी आई एफ कीमतों और अंर्तराष्टीय कीमतों में निरंतर गिरावट है । पिछले कुछ समय में धारणीय स्तर तक मूल्यों में सुधार का कोई अवसर नही आया जिसके आधार पर कम अवधि के लिए भी माल सूची को रोक रखने का निर्णय लिया जा सके । घरेलू उत्पादकों को बाजार में बने रहने के लिए सी आई एफ मूल्यों की प्रत्येक कमी पर साथ-साथ, तत्काल आधार पर अपनी कीमतों को समानान्तर स्तर तक कम करना ही होता है । जी ए सी एल को मेथिलीन क्लोराइड के अपने माल की कीमतें अप्रैल,98 में 25968 रू० प्रति मी.टन से मार्च, 2000 में 16944 रू०/प्रति मी.टन तक घटानी पड़ी । इसी प्रकार सी एस एल को अपने माल की कीमते अप्रैल, 98 ने 26302 रू०/ प्रति मी.टन से मार्च, 2000 में 18283 रू०/प्रति मी.टन तक घटानी पड़ी जिसने उनके लाभ को गंभीर रूप में प्रभावित किया ।

(9) भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले 6/7 सालों में 100% से 35% तक की अविश्वसनीय कमी के साथ सीमा शुल्क में निरंतर कमी करके आयात को उदार बनाने हेतु अपने द्वारा खोल दिए है । इससे कम मूल्यों के साथ कम शुल्क के द्वारा यूरोप से अतिरिक्त उत्पादों के निर्यात को, प्रोत्साहन मिला है ।

(10) भारतीय विर्निमाताओं के लिए उत्पादन की लागत, उनके नियंत्रण से बाहर के कारणों से, लगातार बढ़ रही है । भत्तों और वेतनो के अलावा मिथाइल एल्कोहल, क्लोरीन और विद्युत की कीमतों में सारभूत वृद्धियाँ हुई हैं । इस परिस्थिति में, भारत और अंर्तराष्टीय स्तर पर सामान्य रसायनों के लिए बाजार परिदृश्य फीका पड़ गया है । बाद में कीमतों में निरन्तर गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई । उदाहरणार्थ गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लि. का एक मुख्य उत्पाद अर्थात् कास्टिक सोडा का सूची मूल्य 1996-97 में 14,057 रू. की ऊँचाई से आज के 7500 रूपये की प्रभावी वसूली तक कम हो गया है । इसने कम्पनी के सम्पूर्ण लाभ के अन्तर को बुरी तरह कम कर दिया है । क्लोरोमिथेन्स, जो कि पहले एक अतिरिक्त जेनरेटर था, भी नकारात्मक हो गया है । केमप्लास्ट का अन्य मुख्य उत्पाद अर्थात् पोलीविनायल क्लोराइड के मूल्यों में 2580 रू. की उच्चता से वर्तमान समय में 1850 रू. की मूल्य गिरावट दिखाई दी। इस सम्पूर्ण परिदृश्य के अंतर्गत, क्लोरोमिथेन्स की बड़ी मात्रा का आगमन भारतीय उत्पादको के वर्तमान कार्यवाइयों के साथ तबाही मचा रहा है और उनके मध्यमार्गीय व्यवहारिकता को भी गंभीर क्षति की आशंका पैदा कर रहा है ।

(11) यूरोपीय और अमेरिकी विनिर्माताओं की ओर से निरन्तर दबाव है । यहाँ तक कि 1999 के बजट में सीमा शुल्क दरों में मात्र 5% वृद्धि की अपर्याप्त राहत दी गई । इस योक्तिकीकरण के परिणामस्वरूप यूरोप के निर्यातको ने पहले से ही कम अपनी कीमतों को 15 अमेरिकी डालर तक कम कर दिया । इस प्रकार सीमान्त योक्तिकीकरण व्यवहारिक रूप में नगण्य कर दिया । जैसा कि इस प्रवृत्ति द्वारा दर्शाया गया है, यूरोप और अमेरिका में मूल्यों में प्रबल कमी की कोई आशा नही है ।

(12) आयातित मेथीलीन क्लोराइड हर प्रकार से घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित जैसा ही है उसमें उसी प्रकार की प्रयोग विशेषता है । पिछले कुछ सालों के दौरान वे घरेलू उपभोगकर्त्ताओं को मेथीलीन क्लोराइड की आपूर्ति कर रहे है विशेषकर फार्मा और मुख्य औषधि विनिर्माताओं को, जो कि गुणवत्ता के लिए सचेत है और किसी ने भी उत्पाद की गुणवत्ता के बारे कोई गंभीर आपत्ति नहीं उठाई है ।

(13) घरेलू उत्पादकों का सापेक्ष मार्केट शेयर 1997-98 में 70% से 1999-2000 में 60% गिर गया है ।

(14) जी ए सी एल और सी एस एल अपने विद्यमान संयत्रों को सरल करने की प्रक्रिया में है और क्षमता उपयोगिता को आशाजनक बना रहे है । भारतीय क्लोरोमिथेन उपभोग उद्योग की कुल मांग घरेलू उद्योग द्वारा आसानी से पूरी की जा सकती है ।

(15) दोनों कम्पनियाँ अर्थात् जी ए सी एल और सी एस एल अपने उत्पादन और बिक्री की लागत को नीचे लाने के लिए प्रभावी कदम उठा रहे है । आक्रामक विपणन प्रणाली अपनाकर एवं विद्युत की लागत कम करने हेतु जी ए सी एल द्वारा 90 मेगावाट विद्युत संयत्र और सी एस एल द्वारा 30 मेगा-वाट के सयंत्र की स्थापना की जा रही है ।

उपरोक्त के अलावा एस आर एफ लि. नई दिल्ली ने निम्नलिखित बाते कही है :-

(1) उनके क्लोरोमिथेन्स संयत्र 1995-96 में शुरू किए गए थे और मेथीलीन क्लोराइड, क्लोरोफार्म एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के सहउत्पादक के लिए स्थापित किए गए थे । प्रत्येक उत्पादित उत्पाद का अधिकतम अनुपात स्थापित सयंत्र और संचालित प्राचलनों पर निर्भर करता है । प्रत्येक उत्पाद का अनुपात मार्किट अवस्थाओं पर निर्भर होकर भिन्न-2 होता है । उनके पास मेथीलीन क्लोराइड का कोई कैप्टिव उपभोग नही है और उनका सम्पूर्ण उत्पादन बिक जाता है ।

(2) भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्बन टेट्राक्लोराइड का उत्पादन बंद किया जाना है । वे अपने सयंत्र के अवरोधन को दूर कर रहे है और अनुपात को बदल कर मेथीलीन क्लोराइड की ओर ले जा रहे है । इसके परिणामस्वरूप पिछले पाँच सालों में उन्होंने क्लोरोमिथेन्स की क्षमता का 10% से 55% तक मेथीलीन क्लोराइड उत्पादन का अनुपात बढ़ाया है । क्लोरोमिथेन्स क्षमता 1997-98 में 14500 मी. टन प्रतिवर्ष से 1997-98 में 18550 तक बढ़ गई थी ।

(3) पिछले तीन वर्षो में उन्होंने मेथिलीन क्लोराइड का निर्यात नहीं किया है । निरंतर आयात के कारण वे मेथिलीन क्लोराइड की 10000 मी.टन क्षमता का उपयोग नही कर सके । मेथिलीन क्लोरा-इड की उनकी भारित औसत मूल्य प्राप्ति प्रति मी.टन (टैंकर्स) में जो कि अप्रैल 98- जून 1998 में 25660 रू., जुलाई 1998 - सितम्बर 1998 में 27050 रू. थी वह अक्टूबर - दिसम्बर 1999 में 19020 रू. और आगे जनवरी - मार्च 2000 -में 17180 रू. तक घट गई ।

(ग) आयातकों/उपभोक्ता उद्योगों के दृष्टिकोण

(क) इंडोसोल ड्रग्स लि., मुम्बई
(ख) अरबिन्दो फार्मा लि., हैदराबाद
(ग) ल्यूपिन लेबोरेट्रीज लि., मुम्बई

उन्होंने मुख्यतया निम्नलिखित बातें कही है :-

(1) वे मैथीलिन क्लोराइड के बड़े प्रयोगकर्त्ता है जो कि घरेलू बाजार और विदेशों में बिक्री के लिए उनके द्वारा विनिर्मित बहुत सारी दवाइयों के लिए एक मुख्य अन्तर्वस्तु है । घरेलू रूप से इनमें से कुछ उत्पाद सामान्य और बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए प्रयुक्त होती है । इन औषधियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करना उनका सतत प्रयास है कि औषधियाँ सामान्य व्यक्तियों की पहुँच में है । तदनुसार इन उत्पादो का लागत प्रभावी विनिर्माण सुनिश्चित करना सार्वजनिक हित में है कि उनके उपभोक्ताओं को ये उत्पाद एक उचित लागत पर आपूर्ति किए जा सके ।

(2) भारतीय रूपये के अवमूल्यन और घरेलू कीमतों तथा अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के फलस्वरूप पिछले छः मास से मेथिलीन क्लोराइड की लागत में अविश्वसनीय वृद्धि पहले ही हो चुकी है । आगे 52.57% और रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण उनकी लागत प्रणाली पर एक बड़ा बोझ होगा जो कि अन्ततोगत्या उनके उत्पाद के उपभोक्ताओं के लिए वर्धित लागत में फलीभूत होगा ।

(3) उनकी अपनी क्षमता से ज्यादा कार्य करने के बावजूद घरेलू उद्योग कई बार मेथिलीन क्लोराइड की उनकी मांग पूरी नही कर सके है जिससे उन्हें आयात पर निर्भर होना पड़ा है ।

(घ) रेनबैक्सी लेबोरेट्रीज लि., नई दिल्ली

(1) रक्षोपाय पर वैधानिक प्रावधानों के आधार गैट 1994 के अनुच्छेद XIX तथा रक्षोपाय पर समझौता है । अनुच्छेद XIX का पैरा-1 में किसी देश को आपातकालीन कार्रवाई करने हेतु अधिकार प्रदत्त करता है यदि कोई सदृश उत्पाद या सीधे प्रतिस्पर्धी उत्पाद का आयात उसकी सीमा में इतनी अधिक मात्रा मे हो रहा है कि वह आयात उस उत्पाद के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति पहुँचा रहा है । किसी सदस्य देश द्वारा दिए गए मूल्य में छूट को शामिल करके, बाध्यताओं के कारण और अनदेखे घटना चक्र के परिणामस्वरूप वृद्धि होनी चाहिए । रक्षोपाय नियमावली और धारा 8बी के प्रावधानों की व्याख्या करते समय रक्षोपाय पर समझौते एवं अनुच्छेद XIX को ध्यान में रखना है । इस प्रकार, धारा 8बी स्पष्ट करती है कि किसी वस्तु के आयात में कोई वृद्धि ""इतनी वर्धित मात्रा'' में होनी चाहिए, यह मूल्यांकन करना आवश्यक है कि क्या वृद्धि अनदेखे घटनाचक्र के परिणामस्वरूप और गैट समझौते के अधीन भारत द्वारा बाध्यताओं के प्रभाव के कारण हुआ है । शीर्ष संख्या 2903.12 के अधीन आने वाला मेथिलीन क्लोराइड पर पिछले पाँच वर्षो के दौरान किसी आयात बाध्यता के अधीन नही था क्योंकि मेथिलीन क्लोराइड के आयात में वृद्धि, भारत द्वारा लगाए गए बाध्यताओं के प्रभाव के कारण नही थी जिसमें कि मूल्यों में छूट भी शामिल है यह

किसी अनदेखे घटना चक्र के कारण भी नही थी क्योंकि आयात में वृद्धि मांग में वृद्धि के सीधे परिणामस्वरूप थी जो कि घरेलू उत्पादको द्वारा पूरी नही की जा सकी। उनकी शतप्रतिशत क्षमता से भी अधिक कार्य करने के बावजूद घरेलू उद्योग द्वारा मांग पूरी नही की जा सकी ।

(2) क्षेपण विरोधी अन्वेषण के विपरीत जहाँ मात्रा और आयातों की कीमत दोनों पर विचार किया जाना चाहिए वहाँ रक्षोपाय कार्यवाही जरूरी तौर पर मात्रा पर आधारित कार्यवाही है । आयातों की कीमत एक गौण विषय है । एक बार यह सुनिश्चित हो जाए कि वर्धित आयात बाजार की स्थितियों, प्रयोगकर्त्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने की उनकी क्षमताओं की कमी के कारण घरेलू उद्योग की असमर्थता के कारण है तो घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति का प्रश्न का ही नहीं रह जाता ।

(3) घरेलू उद्योग की बिक्री के परिमाण ने गिरावट का रूख नहीं दर्शाया है । 1999-2000 में बाजार शेयर में 8% का घाटा गंभीर क्षति तो क्या थोड़ी क्षति का संकेतक भी नहीं है । वास्तव में घरेलू उद्योग को अपने शेयर में केवल इसलिए घाटा हुआ क्योंकि यह क्षमता का 100% से भी अधिक का संचालन कर रहे थे और उपभोग में वृद्धि के अविवेकी अनुपात में बढ़ोतरी नहीं कर सके न कि इसलिए कि वर्धित आयातों ने इसके बाजार शेयर को घटाया ।

(4) घरेलू उद्योग द्वारा रक्षोपाय शुल्क की माँग गलत आकलित की गई है । 1999-2000 में मैथिलीन क्लोराइड की भूमि पर उतराई की कीमत उन कीमतों पर आकलित की गई है जब वे न्यूनतम थी जो कि एक सही तरीका नहीं है । भूमि पर उतराई की कीमत निश्चित करने के लिए अप्रैल 1999 से सितम्बर, 2000 तक भारित औसत सी आई एफ कीमत को लेना होगा । उतार-चढ़ाव के इस क्रम में 2000 की शुरूआत में मैथीलिन क्लोराइड की कीमतें बहुत कम समय के लिए गिरी । उन्होंने 450 अमेरिकी डालर प्रति मी.टन की दर से मैथीलिन क्लोराइड का आयात किया और उन्होंने आयात के लिए उसी कीमत पर अथवा उच्च कीमत पर अनुबन्ध किया था । यदि रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण एक अवांछित प्रेषण के न्यूनतम सी आई एफ आयात पर आधारित है तो यह घरेलू उद्योग को अत्यधिक लाभ पहुँचाएगा । अनुच्छेद xix के अधीन रक्षोपाय कार्यवाही केवल उस हद तक और उतने समय तक ही होनी चाहिए जिससे कि वह गंभीर क्षति को रोक दे अथवा सुधार दे । तथ्यों की दृष्टि से गंभीर क्षति है ही नही और वर्तमान में स्पष्ट विक्रय मूल्य की तुलना में भूमि पर उतराई की कीमत कहीं अधिक है इसलिए जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा मॉग की गई है जाँच को जारी रखने की अथवा रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण की कोई आवश्यकता नहीं है ।

(5) रक्षोपाय शुल्क नियमावली के नियम 5(2) (बी) के अनुसार रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण के लिए आवेदन पत्र के साथ आयात प्रतिस्पर्धा के साथ सकारात्मक योजना हेतु किए जा रहे प्रयासों या प्रस्तावित योजनाओं या दोनों के बारे में विवरण शामिल होना चाहिए । रक्षोपाय कार्रवाई में वर्धित आयात कारक होता है न कि मूल्य/वास्तव में मूल्य को "संगत" माना जाता है जैसा कि कम किए गए या आर्थिक सहायता दिए मूल्यों, जो कि गलत मूल्य माने जाते है, के विपरीत है । यदि 11,990 रू. ठीक मूल्य है और रू 23,734 रू. घरेलू उद्योग की ठीक अपेक्षा है तो इस दूरी को पूरा करने हेतु उपायों को समायोजन योजना में दिग्दर्शित किया जाना चाहिए । सीमा शुल्क के विद्यमान स्तर को ध्यान में रखते हुए 6317 रू. प्रति मी.टन की शुल्क सुरक्षा माँगी गई है । दूसरे शब्दों में, समायोजन योजना में कम से कम 6317

रू. की हद तक लागत में कमी दिखाई जानी चाहिए जबकि आवेदकों की समायोजन योजना इस राशि के चौथाई के बराबर भी नही है । वास्तव में उनके द्वारा किए जा रहे किसी भी प्रयास से लगभग 6000 रू. तक भी उनकी उत्पादन की लागत कम न हो सकेगी जो कि प्रतिस्पर्धा से मुकाबले के लिए आवश्यक है । यह एक और कारण है कि क्यों न वर्तमान रक्षोपाय जांच समाप्त कर दी जाए

घ. निर्यातकों के दृष्टिकोण

(क) एटोफिना, फ्रांस

(1) उन्होंने दो भारतीय कम्पनियों गुजरात अल्कलीज एण्ड केमिकल्स लिमिटेड(जी ए सी एल) तथा केम्प्लास्ट संमार लिमिटेड (सी एस एल) द्वारा मैथीलिन क्लोराइड के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण का विरोध किया है ।

(2) उन्होंने आयात आँकड़ों से यह देखा है कि 1999-2000 के दौरान आयातित उत्पादों के बाजार शेयर वास्तव में 1995-96 तथा 1996-97 से कम है । यह मुश्किल से भारतीय बाजार के एक लक्ष्य को चित्रित करता है तथा यह केवल आयातों का निरंतर अपने बाजार के इतिहास को बनाए रखने का प्रश्न है ।

(3) उन्होंने पाया है कि भारत में मैथीलिन क्लोराइड के उत्पादन में 1996-97 से 1999-2000 तक 47% की वृद्वि हुई है । उत्पादन में इतनी बड़ी वृद्वि ने घरेलू कीमतों के निर्धारण की स्थिति को नकारात्मक योगदान दिया है ।

(4) कॉंडला में 275 अमेरिकी डालर प्रतिटन सी आई एफ संदर्भ मूल्य ऐसा मूल्य नही है जो एटोफिना की जानकारी में हो अथवा अध्ययन की अवधि के दौरान भारत में व्यापार के लिए एटोफिना द्वारा प्रयुक्त किया गया हो । यूरोप से (स्त्रोत, आई सी आई एस- एल ओ आर रिपोर्ट 28 जुलाई, 2000) निर्यात किए गए मैथीलिन क्लोराइड के लिए वर्तमान बाजार कीमत 370-430 अमेरिकी डालर, एफ ओ बी नार्थ वेस्ट यूरोप में दी है । वर्तमान में यह 400-450 अमेरिकी डालर /टी की सी आई एफ कॉंडला की भूमि पर उतराई की लागत के बराबर होगी । इस कीमत को जब भूमि पर उतराई की लागत में परिवर्तित किया गया तो वह काफी अधिक है जिसकी भारतीय उत्पादकों ने यथोचित विक्रय मूल्य के रूप में माँग की है । उन्होंने 1999-2000 के दौरान 1727 मी.टन मैथीलिन क्लोराइड का निर्यात किया ।

(5) भारतीय उत्पादकों द्वारा आयातित माल की भूमि पर उतराई की लागत की गणना में पोर्ट का खर्चा, पोर्ट पर भारी मात्रा में भंडारण का किराया,सर्वेक्षण तथा विश्लेषणात्मक कीमतें, उत्पाद हानि अथवा आयात प्रक्रिया मे वित्तीय लागत, अथवा वितरण अथवा व्यापार करने वाली कम्पनी की लागत जहाँ इस प्रकार की कम्पनी द्वारा यह उत्पाद आयात किया जाता है , शामिल नहीं किया गया है ।

(ख) मैसर्स आई सी आई क्लोर- कैमिकल्स

(1) उनके उत्पाद की मुख्यतः औषधीय तथा सौन्दय प्रसाधन के विनिर्माण (65%) एग्रो केमिकल्स (25%), खाद्य उद्योग में निष्कर्षण मध्यवर्ती (5%) , पोल्युर्थेन फोम ब्लाउजिंग, चेपदार सूत्रीकरण,

प्लास्टिक प्रसंस्करण, मैटल डिग्रेसिंग इत्यादि के लिए आपूर्ति की जाती है । बहुत थोड़ी मात्रा पेण्ट व वार्निस साफ करने के निरूपण के लिए भी आपूर्ति की जाती है ।

(2) उन्होंने 1998-2000 के दौरान भारत में निम्न मात्रा में मैथीलिन क्लोराइड का निर्यात किया :

वर्ष	बल्क (थोक में)	ड्रम	कुल
1998	3118	1054	4172
1999	4886	1694	6580
2000	2749	831	3580

(अगस्त, 2000)

(3) घरेलू उद्योग द्वारा उनके आवेदन में दिए गए आयातों के ऑकड़े गलत है और महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा वास्तविक आयात के ऑकड़े एकत्र करने के बाद वे इस आयात मात्राओं के निर्णायक पहलू पर अपना विचार प्रकट करने का अधिकार रखते है । यह आरोप कि यूरोप में घरेलू बिक्री कम हो रही है और इसलिए मैथीलिन क्लोराइड भारत में रास्ता बना रहा है, निश्चित रूप से अस्वीकार्य है ।

(4) पक्का विश्वास है कि मैथीलिन क्लोराइड के आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है और किसी प्रकार का रक्षोपाय शुल्क घरेलू उद्योग को, प्रयोगकर्ता उद्योग की लागत पर, जो कि उत्कृष्ट रूप से औषधीय और एग्रोकैमिकल क्षेत्र है, अवांछित सुरक्षा प्रदान करेगा ।

(5) आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गई पुनर्समायोजन योजना रक्षोपाय सुरक्षा के योग्य नहीं है। उनके द्वारा जिन समायोजना का दावा किया गया है वे पहले ही क्रियान्वित हो चुके हैं अथवा संयंत्र के रख-रखाव और संचालन में साधारण रूप से हो रहे सुधारों का भाग है । उनके द्वारा माँगी गई 6739/- रू० की सुरक्षा की तुलना में घरेलू उद्योग द्वारा समायोजन से प्राप्त कुल लाभ 1800/- रू० से 2300/-रू. होगा जो कि अपने आप में यह दिखाने के लिए एक साक्ष्य है कि समायोजन योजना, कथित क्षति की भरपाई के लिए, पूरी तरह से अपर्याप्त है ।

(6) सीमा शुल्क टैरिफ, अधिनियम की धारा 8बी के अधीन जैसा कि आवश्यक है भारत में "वर्धित " मात्रा में मैथीलिन क्लोराइड का आयात नहीं हुआ है । घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति तो क्या क्षति हुई ही नहीं है । जैसा कि उन्होंने प्रस्तुत किया है वास्तव में संयंत्र 100% से भी अधिक की क्षमता पर कार्य कर रहे है । भारत में आयातित मैथीलिन क्लोराइड की कीमतों में पिछले कुछ महीनों में तेजी से वृद्धि हुई है । कीमतें कच्चे माल की कीमत और पूरे विश्व में मांग एवं आपूर्ति के आधार पर चलती है । हाल की याददाश्त में जो अवधि कीमतों में कमी दर्शाती है वह कच्चे माल की निम्नतम कीमतों के अनुरूप है । दक्षिण पूर्व एशिया में संकट स्थिति के साथ-साथ पूरे विश्व में कीमतें कम हुई थी । ये दोंनो मुद्दे अब ठीक हैं तथा पिछले कुछ महीनों में कीमतों में बहुत तेजी से वृद्धि हुई ।

(ग) **सोलवे एस ए.बेल्जियम**

(1) भारत को उनकी मैथीलिन क्लोराइड की बिक्री से भारतीय बाजार अथवा मैथीलिन क्लोराइड के घरेलू उत्पादकों को कोई गंभीर क्षति पहुँचाने की आशंका नही है ।

(2) भारत को उनकी निर्यात की कीमतें एशिया/पैसेफिक क्षेत्र में निर्यात बाजार कीमतों के अनुरूप थी और उसी अवधि के दौरान यूरोप के घरेलू बाजार में उनकी कीमतें अधिक थी ।

(घ) **हेम ए जी, जर्मनी**

गत 4 सालों से (1996 से अगस्त, 2000 तक) उन्होंने भारत को मैथीलिन क्लोराइड का निर्यात नहीं किया है । वे इस दावे को स्वीकार नहीं करते कि कम कीमतों पर बिक्री करके भारतीय बाजार को अस्तव्यस्त करने में वे मुख्य निर्यातकों में से एक है ।

(ड.) **निर्यातक सरकारों के दृष्टिकोण**

(क) हंगरी गणराज्य का दूतावास, नई दिल्ली

हंगरी के निर्यात आँकड़ों के अनुसार ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि पिछले तीन सालों में भारत को मैथीलिन क्लोराइड का निर्यात किया गया ।

(ख) **ताइवान**

(1) भारत को मैथीलिन क्लोराइड का उनका निर्यात बहुत ही सीमित है । 1995 और 1996 में भारत को मैथीलिन क्लोराइड का बहुत कम निर्यात हुआ । जनवरी, 1997 से मई, 2000 तक मैथीलिन क्लोराइड का कोई निर्यात नहीं हुआ ।

(2) रक्षोपाय उपायों को लागू करने के संबंध में रक्षोपायों पर विश्व व्यापार संगठन के अनुबंध के प्रावधानों के अधीन किसी भी प्रकार के रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण से पूर्व वे यह अधिकार रखते हैं कि उनसे परामर्श लिया जाए ।

(ग) **यूरोपीय आयोग, नई दिल्ली**

(1) गैट (जी ए टी टी) 1994 के अनुच्छेद xix के अधीन भारत को रक्षोपाय संबंधी कार्यवाही करने की पात्रता है जो "उत्पाद विशेष के आयातों पर आपातकालीन कार्यवाही" तथा रक्षोपायों पर विश्व व्यापार संगठन अनुबंध को स्पष्ट करता है । ये प्रावधान विश्व व्यापार संगठन के देशों को आपातकालीन परिस्थितियों में रक्षोपाय कार्यवाही करने के लिए वहाँ अनुमत करते हैं जहां घरेलू उद्योग को एक विशिष्ट उत्पाद, के वर्धित आयातों से पहुंची गंभीर क्षति को अपवादात्मक उपायों से सुधारा जा सके । रक्षोपाय उपाय केवल वहीं लागू किए जाने चाहिए जहां और कोई उपाय उचित प्रतीत न होता हो । अन्यथा रक्षोपाय उपायों को लागू करने से व्यापार में गंभीर अशांति के खतरे, उल्लेखनीय व्यापार विपथन

और विश्व भर में सीमित व्यापार उपायों को प्रचुर मात्रा में खतरों की ओर ले जाएगा । उन परिस्थितियों में जहां आपातकालीन कार्यवाही की आवश्यकता न प्रतीत होती हो, भारतीय उद्योग को सामान्य और उचित आयात प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए रक्षोपाय उपायों को हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए अथवा नहीं किया जा सकता ।

(2) रक्षोपाय उपायों को केवल ऐसे उत्पाद के लिए लागू किया जाता है जो उत्पाद इतनी वर्धित मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में आयात किया जाता है जिससे उन घरेलू उद्योगों को जो उसी प्रकार के उत्पादों का उत्पादन करते है, अथवा प्रत्यक्षतया प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादों का उत्पादन करते हैं, उसे गंभीर क्षति का खतरा पैदा करें । प्रारंभिक टिप्पणी के अनुसारँ आयोग ने यह पाया है कि भारतीय निष्कर्ष, कि मैथीलिन क्लोराइड के आयातों ने मैथीलिन क्लोराइड के घरेलू उत्पादकों को प्रथम दृष्टया गंभीर क्षति का खतरा पैदा किया है पूरी तरह से साबित नहीं करता । प्रारंभिक नोटिस में निहित अपर्याप्त सूचना और याचिका के गैर- गोपनीय कथन इस प्रकार के निष्कर्षों का समर्थन नहीं करते, विशेष कर विश्व व्यापार संगठन के रक्षोपाय अनुबन्ध के अनुच्छेद 4(1) (बी) के कठोर अपेक्षा के अनुसार, जो कहता है कि ""गंभीर क्षति के एक खतरे की विद्यमानता का निर्धारण तथ्यों के आधार पर होगा न कि केवल आरोपों, अटकलों अथवा दूरवर्ती संभावना के आधार पर ।

(3) रक्षोपाय उपायों को लागू करने के लिए, उनकी आपातकालीन प्रकृति को देखते हुए, आयातों में पर्याप्त अत्यधिक वृद्धि आवश्यक होती है । आयोग को संदेह है कि भारत द्वारा प्रस्तुत आयात आँकड़े इस प्रकार के किसी भी निष्कर्ष के लिए न्याय संगत है । वर्ष 1999-2000 के लिए 13,500 मी. टन के आँकड़े आवेदकों द्वारा प्रस्तुत एक आकलन है और वे किसी साक्ष्य अथवा विवरण द्वारा समर्थित नहीं हैं । कॉंडला पोर्ट ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत ऑकड़े (10.247 मी. टन) और अधिक असंगत हैं जो कि वास्तव में कम हैं । सही आँकड़े जो भी हों 1996-97 में 12,302 मी. टन की आयात मात्रा की तुलना निश्चित रूप से आयातों में तेज वृद्धि नहीं दर्शाती । यदि घरेलू उत्पादन की तुलना में आयातों की प्रतिशतता को लिया जाए (1996-97 में 79% से 1999-2000 में 59% तक की गिरावट) यह बताता है कि उसी अवधि के दौरान आयातों की तुलना में घरेलू उत्पादन में कहीं अधिक वृद्धि हुई है । जहाँ तक इस दावे का संबंध है कि विचाराधीन अवधि में आयात की कीमत पर्याप्त मात्रा में घट रही हैं, आयोग ने यह पाया कि यह रूख विश्व भर में प्रतिबिम्बित हो रहा है जिसने इस उत्पाद के सभी उत्पादकों को प्रभावित किया है । इसके अलावा थोक माल के रूप में, विशेषकर इसी उत्पाद के लिए, गिरावट का रूख बताया गया है । आयोग ने पाया है कि भारत को लगभग 25% ई सी के निर्यात ड्रमो में हैं जिनकी कीमते थोक मात्रा के माल से कहीं अधिक हैं ।

(4) रक्षोपायों पर विश्व व्यापार संगठन के अनुबन्ध में अपेक्षित है कि आयात से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुँचे अथवा गंभीर क्षति की आशंका हो । अनुबंध मे गंभीर क्षति की परिभाषा ""घरेलू उद्योग की स्थिति में पूर्णरूप से एक अर्थपूर्ण क्षति'' दी गई है । जॉच प्रारंभ करने की सूचना में यह प्रमाणित करने के लिए बहुत कम लिखा गया है कि क्षति गंभीर थी अथवा होगी । महानिदेशक (रक्षोपाय) का निष्कर्ष केवल दो विचारों पर आधारित है एक तो विश्व भर का एक रूख देखते हुए विचाराधीन अवधि में आयातों की कीमतों में गिरावट हुई और घरेलू उत्पादकों का बाजार शेयर 1997-98 और 1999-2000 के बीच 10% कम हो गया । फिर भी, इसी संदर्भ में ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वेक्षण प्राधिकारी ने इस तथ्य की

अवहेलना की है कि इन उत्पादों के लिए भारतीय बाजार में पर्याप्त वृद्धि और साथ ही कथित अवधि के दौरान घरेलू उत्पादकों की क्षमता उपयोगिता में वृद्धि हुई है ।

(5) मैथीलिन क्लोराइड के आयातों में वृद्धि इस प्रकार से और ऐसी परिस्थितियों में नहीं हुई है कि घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति का खतरा पैदा हो । वास्तव में, आयोग ने कहा है कि इस मामले में अनुच्छेद xix जी ए टी टी, 1994 और रक्षोपायों के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुबंध के अधीन पदार्थ की सभी आवश्यक परिस्थितियों और प्रक्रिया विद्यमान नहीं हैं । आयोग ने यह भी विचार किया है कि रक्षोपाय उपायों जैसा कि आवेदकों द्वारा अनुरोध किया गया है रक्षोपाय उपायों का अनंतिम अधिरोपण न्यायिक नहीं होगा क्योंकि रक्षोपाय अनुबंध के अनुच्छेद 6 में दी गई शर्तें पूरी नहीं होंती ।

(च) **निष्कर्ष**

1. (1) मैने इस मामले के दस्तावेतों और घरेलू उत्पादकों, प्रयोगकर्ता/आयातक, निर्यातक और निर्यात करने वाली सरकारों के जवाबों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है । विभिन्न पक्षों द्वारा दिए गए जवाब और उनसे उठते प्रश्नों को नीचे निष्कर्षो में उचित स्थान पर डील किया गया है:-

(2) यद्यपि अन्य मुद्दों पर चर्चा करने से पहले एस आर एफ द्वारा दी गई सूचना से संबंधित प्रारंभिक मुद्दे पर ध्यान देना आवश्यक है । कुछ पक्षों द्वारा यह दावा किया गया है कि आवेदन में अन्य घरेलू उत्पादकों को सम्मिलित करने का और जॉच शुरू होने के बाद उनके द्वारा दी गई सूचना को स्वीकृत करने का कोई प्रावधान नहीं है । इस विषय में उन्होंने जाँच शुरू करने से संबंधित रक्षोपाय शुल्क नियमावली की ओर ध्यान आकृष्ट किया है जो अपेक्षा करती है कि महानिदेशक आवेदन में प्रस्तुत साक्ष्य की यथार्थता और पर्याप्तता तथा नियम 6 और 7 इत्यादि में निहित प्रक्रिया का भी परीक्षण करेंगे ।

(3) इस मुद्दे पर उचित रूप से विचार करने के लिए रक्षोपाय शुल्क नियमावली में जैसा कि दिया गया है, जांच की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर विचार करना आवश्यक होगा । रक्षोपाय शुल्क नियमावली (एस जी डी नियमावली) का नियम 5 जो जांच प्रारंभ करने से संबंधित है, में उपबंधित है कि,

"जैसा कि उपनियम (4) में उपबंधित है, के अलावा महानिदेशक सदृश वस्तु अथवा स्पष्टतया प्रतिस्पर्धी वस्तु के घरेलू उत्पादकों अथवा उनकी ओर से लिखित आवेदन प्राप्त होने पर यह निर्धारित करने के लिए कि एक वस्तु के इतनी अधिक मात्रा में, असीम अथवा घरेलू उत्पाद की तुलना में अधिक आयात होने से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की आशंका की विद्यमानता को आँकने के लिए जाँच प्रारम्भ करेंगे"।

(4) शब्द "घरेलू उद्योग" सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8बी में निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया गया है ।

"घरेलू उद्योग" का अर्थ है कि (1) एक सम्पूर्ण रूप से सदृश वस्तु अथवा भारत में स्पष्टतया प्रतिस्पर्धी वस्तु (2) जिसकी भारत में सदृश वस्तु अथवा स्पष्टतया प्रतिस्पर्धी वस्तु का सामूहिक उत्पादन भारत में कथित वस्तु के कुल उत्पादन का मुख्य भाग संघटित करता हो ।

(5) नियम 5 के अधीन महानिदेशक से यह अपेक्षा की जाती है कि आवेदन में दिए गए साक्ष्य की यथार्थता, पर्याप्तता का परीक्षण करें । नियम 6 में वे सिद्धांत दिए गए हैं जो जाँच को अधिशासित करते हैं।

(6) इस प्रकार आवेदन में घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उनकी ओर से प्रस्तुत सूचना की यथार्थता और पर्याप्तता के परीक्षण के बाद जाँच प्रारंभ की जानी चाहिए । यह आवश्यक नही है कि आवेदन सभी घरेलू उत्पादकों द्वारा दायर की जानी चाहिए अथवा जिन उत्पादकों ने पहले आवेदन में भाग नहीं लिया बाद में अपनी स्थिति नहीं बता सकते । जाँच सूचना से अन्वेषण प्रक्रिया प्रारम्भ होती है जाँच की सूचना का एक उद्देश्य यह है कि सभी इच्छुक पक्षों को सूचना दी जाए । यहाँ तक कि जो पक्ष आवेदन में अभिज्ञानित नहीं हैं वे जाँच प्रारंभ होने के पश्चात् भी उत्तर दे सकते है और भाग ले सकते हैं । अतः इसमें कोई गलत बात नहीं है कि एस आर एफ ने 23 अक्तूबर, 2000 को घरेलू उत्पादकों को समर्थन देकर जाँच में भाग लिया । यद्यपि स्वाभाविक न्याय यह अपेक्षा करता है कि उनके द्वारा दायर किए गए उत्तर उनको न तो कोई अनुचित लाभ दे और न ही अन्य पक्षों के हितों को क्षति पहुँचाएं । यह सुनिश्चित करने के लिए ही सार्वजनिक सुनवाई के समय विशेषकर एस आर एफ को 13 नवम्बर, 2000 तक उनकी प्रश्नावली के उत्तर और अन्य पक्षों को 27 नवम्बर, 2000 तक उन पर टिप्पणी की अनुमति दी गई थी । इसके अलावा यह सुनिश्चित किया गया है कि इस जाँच में केवल ऐसी सूचना पर विश्वास किया जाए जो संवीक्षा की परीक्षा में खरी उतरे । एस आर एफ द्वारा प्रस्तुत सूचना जो उपरोक्त अपेक्षाओं को पूरा नही करती अथवा जो सत्यापित नहीं की जा सकती जैसे कि उनकी उत्पादन की लागत वर्तमान जाँच में नहीं ली गई । इस बात को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित निष्कर्ष नीचे जाते है :-

2. जाँच के अधीन उत्पाद

(1) जाँच के अधीन उत्पाद मैथीलिन क्लोराइड है जो क्लोरोमीथेन परिवार के विलायकों में से एक विलायक से संबंधित है । विलायकों में से दो अन्य उत्पाद क्लोरोफार्म और कार्बन टैट्राक्लोराइड है । मैथीलिन क्लोराइड एक क्लोरोफार्म जैसी गन्ध वाला रंगहीन वाष्पशील द्रव है । डाईक्लोरो मीथेन के नाम से भी जाना जाता है और इसका केमिकल फार्मूला सीएच2सी12 है ।

(2) क्लोरोमीथेन्स उत्पादन के लिए मुख्यतः दो माध्यम है अर्थात् मीथेन प्रयुक्त करके या मेथानाल को मूल कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करके । मीथेन आधारित प्रक्रिया में मीथेन का थर्मल क्लोरिनेशन प्रयुक्त होता है । क्लोरोमीथेन्स के विनिर्माण में रोशनी या एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरीन और मीथेन के जो कि वास्तविक गैस संघटक है, बीच प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है । प्रक्रिया प्राचलनो के समायोजन पर आधारित, पूर्व अधाशासित उत्पाद मेथाइल क्लोराइड है जो कि मेथीलिन क्लोराइड प्राप्त करने के लिए क्लोरीनेशन द्वारा पुनः चक्र किया जाता है । इस प्रक्रिया में अनुपातिक रूप से कम मात्रा में क्लोरोफार्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त किया जाता है । मीथेन को क्लोरीन के साथ आर्क लैम्प लगे रिएक्टर में अधिक वायुमण्डलीय दवाब और रेसिडैंस नियंत्रित समय पर मिलाया जाता है जिससे क्लोरिन पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो जाये । द्वितीय क्लोरीनेशन रोशनी उत्प्रेरक रिएक्टर में परिवेशी तापमान पर होता है जो कि मेथीलिन क्लोराइड को क्लोरोफार्म में परिवर्तित कर देता है और अन्य रिएक्टर में क्लोरोफार्म उसी प्रकार कार्बन टेट्राक्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है ।

(3) मेथानाल रूट में हाइड्रोजन क्नोराइड के साथ मेथानल की हाइड्रोक्लोरीनेशन द्वारा प्रतिक्रिया के प्रथम चरण में मेथाइल क्लोराइड उत्पादित होता है । प्रक्रिया के दूसरे चरण में सभी चारों उत्पादों यथा अप्रतिकारी मेथाइल क्लोराइड, मेथीलिन क्लोराइड, क्लोरोफार्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड के मिश्रण को उत्पादित करने के लिए या तो थर्मल क्लोरीनेशन या मेथाइल क्लोराइड का फोटो क्लोरीनेशन शामिल है । उपरोक्त उत्पाद बाद में अलग किए जाते है और अनुप्रवाह टावर्स में शुद्ध किए जाते है ।

(4) जी ए सी एल मेथीलिन क्लोराइड का उत्पादन मीथेन रूट का प्रयोग करके करते है जबकि केम्प्लास्ट और एस आर एफ दोनों मेथीलिन क्लोराइड उत्पादित करने हेतु मेथानाल रूट का प्रयोग करते है ।

(5) मेथीलिन क्लोराइड का प्रयोग फोटो फिल्म, बल्क ड्रग्स और औषधि उद्योग में होता है । मेथीलिन क्लोराइड का प्रयोग फोम के विनिर्माण, रेसिन ढलाई, फ्यूमिगैटंस और कृषि रसायन में भी होता है ।

(6) मेथीलिन क्लोराइड को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 2903.12 के अधीन एवं हार्मोनाइज्ड कामोडिटी विवरण और कोडिंग प्रणाली पर आधारित भारतीय व्यापार वर्गीकरण के 29031200 के अधीन वर्गीकृत किया गया है । तथापि उपरोक्त वर्गीकरण सुविधा के उद्देश्य से दिया गया है और जाँच के अधीन उत्पाद के विस्तार क्षेत्र को सीमित नहीं करता ।

(7) घरेलू रूप से उत्पादित मैथीलिन क्लोराइड आयातित मैथीलिन क्लोराइड के जैसा होने के बारे में कोई विवाद नहीं हैं ।

3. घरेलू उद्योग

(1) मैथीलिन क्लोराइड के तीन घरेलू उत्पादक हैं यथा (क) जी ए सी एल (ख) कैम्प्लास्ट (ग) एस आर एफ ।

(2) जी ए सी एल की, स्थापित क्षमता 8910 मी.टन प्रति वर्ष मैथीलिन क्लोराइड का उत्पादन करने के साथ 21120 मी०टन प्रतिवर्ष की क्लोरोमीथेन का उत्पादन करने की है । 1996-97 तक कैम्प्लास्ट की मैथीलिन क्लोराइड का उत्पादन करने के लिए 6000 मी.टन प्रतिवर्ष की स्थापित क्षमता थी जो क्लोरोमीथेन की कुल 30,000 मी.टन प्रतिवर्ष की क्षमता में से 1997-98 में 13500 मी.टन प्रतिवर्ष तक बढ़ा दी गई है । जहाँ तक एस आर एफ का संबंध है जिसने केवल 1997-98 में ही मैथीलिन क्लोराइड का विनिर्माण शुरू किया है, आवेदकों ने दावा किया है कि क्लोरोमीथेन की कुल 21,000 मी. टन प्रतिवर्ष की क्षमता में से एस आर एफ की 4800 मी.टन प्रतिवर्ष मैथीलिन क्लोराइड का उत्पादन करने की स्थापित क्षमता है । यद्यपि उन्होंने दिनांक 9 नवम्बर, 2000 के अपने पत्र में अपने डिज़ाइन के अनुसार अपनी क्लोरोमीथेन की 18500 मी.टन प्रतिवर्ष की स्थापित क्षमता दी है जिससे वे 55% तक मैथीलिन क्लोराइड का उत्पादन कर सकते हैं अर्थात् उनकी मैथीलिन क्लोराइड की 10,175 मी.टन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता है ।

(3) 1999-2000 में जी ए सी एल, कैम्पलास्ट और एस आर एफ ने मैथीलिन क्लोराइड का क्रमशः 8721 मी.टन, 14151 मी.टन और 3266 मी.टन का उत्पादन किया ।

(4) मैथीलिन क्लोराइड के आयात पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण का आवेदन जी ए सी एल और कैम्पलास्ट द्वारा दायर किया गया था । उस समय एस आर एफ ने अपनी स्थिति का खुलासा नहीं किया था । हालाँकि बाद में एस आर एफ ने अपने दिनांक 23-10-2000 के पत्र के द्वारा आवेदकों को समर्थन देने की इच्छा प्रकट की । 7-11-2000 को सार्वजनिक सुनवाई के दौरान एस आर एफ को घरेलू उत्पादकों के लिए प्रश्नावली का जवाब देने के लिए कहा गया था जो उन्होंने 13-11-2000 तक प्रस्तुत कर दिया गया था ।

(5) इस प्रकार यह मान लिया गया है कि मैथीलिन क्लोराइड पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण का अनुरोध घरेलू उद्योग द्वारा किया गया है जिसमें कि सभी तीनों घरेलू उत्पादक शामिल हैं ।

वर्धित आयात

(1) भारत में मैथीलिन क्लोराइड का आयात बैल्जियम, ब्राजील, पी.आर. चीन, चीनी ताइपे, फ्रांस, जर्मनी, हाँगकाँग, हंगरी, इजराइल, इटली, जापान, नीदरलैंड, रूस, स्पेन, स्विटजरलैंड, यू.के. तथा अमरीका से किया जाता है ।

(2) 1994-95 में मैथीलिन क्लोराइड पर आयात शुल्क (मूल सीमा शुल्क + अधिभार यदि कोई हो) 65% था जो बाद में 1995-96 में 50% , 1996-97 में 40% और 1-3-1999 को 38.5% तक बढ़ाने से पहले 1997-98 में 35% तक कम कर दिया गया था । 1995-96 के बाद बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबन्ध के भारत में आयात की अनुमति दी गई थी ।

(3) 1997-99 की अवधि के दौरान मैथीलिन क्लोराइड की सी.आई.एफ कीमतें तथा उसी अवधि में क्लोरीन और मैथानोल की कीमतें निम्न प्रकार से थी :-

सारिणी-I

(कीमतें अमरीकी डालर में प्रति मी.टन)

वर्ष	1997				1998				1999			
	क्यू।	क्यू2	क्यू3	क्यू4	क्यू।	क्यू2	क्यू3	क्यू4	क्यू।	क्यू2	क्यू3	क्यू4
मैथीलिन क्लोराइड	678	625	608	661	612	590	518	521	465	386	331	317
क्लोरीन	135.3	167.9	139.5	160.2	141.1	93.58	71.66	28.4	39.03	63.56	139	209.2
मैथानोल	241	211	196	179	118	102	98	98	98	124	124	105

उपरोक्त सारिणी से यह देखा गया कि जब 1997 की पहली तिमाही से 1998 की चौथी तिमाही तक की अवधि के दौरान दोनों कच्चे माल की कीमतें गिरी उसके पश्चात् उन्होंने तेजी का रूख दर्शाया । तदंतर 1999 की चौथी तिमाही तक प्रत्येक तिमाही में क्लोरीन की कीमतें बढ़ी और मैथानोल की कीमतें भी 1998 की चौथी तिमाही की कीमतों की तुलना में ऊँची रहीं । इसके अलावा मैथीलिन क्लोराइड की कीमतें 1997 की पहली तिमाही से 1998 की चौथी तिमाही तक की अवधि के दौरान कच्चे माल की गिरती हुई कीमतों के अनुसार रही लेकिन उसके बाद कच्चे माल की बढ़ती हुई कीमतों के रूख में भी उसकी कीमतें नहीं बढ़ी । बदले में मैथीलिन क्लोराइड की सी आई एफ कीमतें 1998 की चौथी तिमाही से 1999 की चौथी तिमाही तक की अवधि के दौरान 521 अमरीकी डालर प्रति मी.टन से 317 अमरीकी डालर प्रति मी.टन तक के स्तर तक तेजी से गिरी ।

(4) भारत में मैथीलिन क्लोराइड का आयात 1995-96 में 10776 मी.टन, 1996-97 में 12032 मी.टन, 1997-98 में 7390 मी.टन तथा 1998-99 में 9296 मी.टन था । 1999-2000 के विषय में, आकलन के आधार पर आवेदकों ने 13500 मी.टन के आयात का दावा किया है । उन्होंने कहा है कि 1999-2000 के आँकड़े सार्वजनिक क्षेत्र के पास उपलब्ध नहीं थे । उनके अनुसार 1998-99 में कुल 9269 मी.टन आयात में से 6760 मी.टन काँडला पोर्ट से आयात किया गया जो कि देश में मैथीलिन क्लोराइड के कुल आयातों का 72.93% है । 1999-2000 में काँडला पोर्ट से मैथीलिन क्लोराइड का 10247 मी.टन आयात हुआ । कुल मैथीलिन क्लोराइड में से काँडला के जरिए आयातित 73% के उसी अनुपात को मानते हुए 1999-2000 में मैथीलिन क्लोराइड का लगभग 14050 मी.टन का आयात हुआ । हाँलाकि आवेदकों ने 1999-2000 के दौरान 13500 मी.टन मैथीलिन क्लोराइड के आयात का दावा किया है ।

(5) विभिन्न पक्षों ने, जैसा कि आवेदकों का अनुमान है, 1999-2000 में मैथीलिन क्लोराइड के आयातों की मात्रा के बारे में प्रश्न किए है । इस विषय में यह पाया गया कि काँडला पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकारियों ने यह पुष्टि की है कि 1999-2000 में काँडला पोर्ट के जरिए 10247 मी.टन मैथीलिन क्लोराइड का आयात हुआ । एटोफिना ने 1999-2000 में 1727 मी.टन के आयात की पुष्टि की है और 1999-2000 में अन्य 800-1000 मी.टन मैथीलिन क्लोराइड ड्रमों में आयात किया । इस प्रकार एटोफिना ने 13500 मी.टन की जगह 12774 मी.टन के कुल आयात का दावा किया है । फिर भी आयात के आँकड़े डी जी सी आई एस तथा सीमाशुल्क प्राधिकारियों से सत्यापित करवाए गए । उनसे प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 1999-2000 के दौरान पूरे देश में आयात निम्नानुसार थे:-

सारिणी-2

देश का नाम	**मात्रा (मी.टन)**
चीनी ताइपे	40.248
पी.आर.चीन	20.124
डैनमार्क	5.5

फ्रांस	1727 (जैसा कि एटोफिना ने पुष्टि की है)
जर्मनी	4730.896
हाँगकाँग	20.124
नीदरलैण्ड	1763.247
साऊथ अफ्रीका	25.378
यू.के.	5238.477
अमरीका	100
कुल	13670.994

उपरोक्त आँकड़ों के आधार पर यह पाया गया कि 1999-2000 में कुल 13670.994 मी.टन का आयात हुआ ।

(6) नीचे सारिणी 1995-96 से 1999-2000 की अवधि के मैथीलिन क्लोराइड के घरेलू उत्पादन और आयातों के आँकड़े दर्शा रही है:-

सारिणी -3

वर्ष में	घरेलू उत्पादन (मी.टन)	आयात (मी.टन)	घरेलू उत्पादन की तुलना आयातों का प्रतिशत
1995-96	16340	10776	65.95
1996-97	15588	12302	78.92
1997-98	19111	7390	38.67
1998-99	25091	9269	36.94
1999-2000	26138	13671	52.30

उपरोक्त सारिणीबद्ध आँकड़ों से यह पाया गया कि जो आयात 1995-96 में 10776 मी.टन था, बढ़कर 1996-97 में 12302 मी.टन हो गया । बाद में 1997-98 में 7390 मी.टन तक कम हो गया लेकिन उसके पश्चात् इसमें 1998-99 में 9269 मी.टन और 1999-2000 में 13671 मी.टन तक वृद्धि हो गई । इस प्रकार भारत में मैथीलिन क्लोराइड का आयात वर्ष 1995-96 में 10776 मी.टन से बढ़कर 1999-2000 में 13671 मी.टन हो गया । तथापि घरेलू उत्पादन की तुलना में 1995-96 में आयात लगभग 66% था जो 1998-99 में 37% तक घट गया लेकिन बाद में 1999-2000 में 52.30% तक बढ़ गया ।

(7) विभिन्न पक्षों द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि 1995-96 से 1999-2000 के दौरान भारत में मैथीलिन क्लोराइड के आयातों को कानूनन वर्धित आयातों की आवश्यकता नहीं समझा जा सकता । वर्धित आयातों के बारे में यह भी तर्क दिया गया है कि आयातों में वृद्धि को, अर्जेन्टीना फुट वियर केस में, डब्ल्यू टी ओ पैनल रिपोर्ट को ध्यान में रख कर, समझना चाहिए । इस केस में पैनल ने पाया :

"हमें विश्वास है कि निर्धारण में चाहे आयात में एक end point to end point वृद्धि अनुच्छेद 2.1 में वर्धित आयातों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, end point के रूप में प्रयोग किए गए विशिष्ट वर्षो की तुलना की संवेदनशीलता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्पष्ट मूल निष्कर्ष की पुष्टि अथवा उलट सकता है । यदि अन्वेषण के आदि और अन्त को केवल एक वर्ष के लिए बदल दिया जाए तो उसका अर्थ होगा कि तुलना के लिए आयातों में वृद्धि की बजाय गिरावट दर्शाती है जो आवश्यक रूप से आयातों में वृद्धि की बजाय एक मध्यवर्ती गिरावट इंगित करती है और इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि आयातों में वृद्धि हुई है ।"

"यदि आयातों में वृद्धि वास्तव में विद्यमान है तो यह end to end point तुलना और उस दौरान अन्तःस्थ विश्लेषण में साक्ष्य होना चाहिए । इस प्रकार दो विश्लेषणों को आपस में सबल होना चाहिए ।"

"अनुबंध स्पष्ट है कि निश्चित रूप से तथा घरेलू उत्पादन (मात्रा में) से संबंधित दोनों तरह से ये आयातों के आँकड़े हैं जो इस विषय में संगत है और अनुबंध आयातों को ""इस प्रकार की वर्धित मात्राओं" का संदर्भ देता है । अतः हमारा मूल्यांकन आयात मात्राओं के आँकड़ों पर आधारित होगा ।

(8) कानून के अधीन अपेक्षाओं के विषय में यह देखा गया है कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8बी सरकार को किसी भी ऐसी वस्तु पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण के लिए अधिकार देती है जिसके लिए यदि वह सन्तुष्ट हो जाए कि उस वस्तु के भारत में इतनी अधिक मात्रा में और उन परिस्थितियों में आयात किया गया है जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हो अथवा आशंका हो । और फिर आयातों में वृद्धि के लिए ""वर्धित मात्रा" को सीमा शुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियमावली, 1997 के अधीन परिभाषित किया गया है चाहे वह वास्तविक रूप से अथवा घरेलू उत्पादन से संबंधित हो । वर्तमान मामले में एक end-point to end point आधार पर इसमें कोई शक नहीं है कि आयातों में गत वर्षो की तुलना में वृद्धि हुई । आयातों में वृद्धि का रूख केवल 1997-98 में पलट गया था जब यह 12302 मी.टन से 7390 मी.टन तक गिर गया था । तथापि इस अवधि के दौरान एक अर्थपूर्ण प्रगति हुई जो वर्धित आयातों के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है । यह प्रगति घरेलू उत्पादकों की 1996-97 तक 14910 मी.टन की उत्पादन क्षमता से संबंधित है लेकिन केमप्लास्ट की 30,000 मी.टन प्रतिवर्ष की क्लोरोमीथेन्स की उत्पादन क्षमता के विस्तार और 1997-98 में एस आर एफ के द्वारा मैथीलिन क्लोराइड की कुल 14500 मी.टन प्रतिवर्ष की क्षमता की विनिर्माण की सुविधा स्थापित होने के कारण उनके मैथीलिन क्लोराइड की क्षमता में 6000 मी.टन से 13500 मी.टन प्रति वर्ष तक बढ़ोतरी हुई । इन परिस्थितियों के कारण 1997-98 में घरेलू उद्योग की मैथीलिन क्लोराइड की उत्पादन करने की क्षमता (14500 का 22410+55%) 30,385 मी.टन प्रतिवर्ष थी । ऐसा प्रतीत होता है कि इस परिस्थिति के कारण 1997-98 में आयातों में तेजी से गिरावट हुई । इसलिए वर्तमान मामले में आयातों का रूख विशेषकर 1997-98 से 1999-2000 तक की अवधि के लिए घरेलू उद्योग की वर्तमान स्थिति के विषय में अधिक वास्तविक प्रतीत होती है ।

(9) 1997-98 से 1999-2000 तक की अवधि के दौरान भारत में मैथीलिन क्लोराइड के आयातों में वृद्धि हुई ये 1997-98 में 7390 मी.टन से 1998-99 में 9269 मी.टन और 1999-2000 में 13671 मी.टन तक की वृद्धि हुई । इस अवधि के दौरान घरेलू उत्पादन की तुलना में आयात क्रमशः 38.67%, 36.94% तथा 52.30% तक रहा । अतः भारत में मैथीलिन क्लोराइड के आयात में स्थिर रूप से और घरेलू उत्पादन की तुलना, दोनों तरह से वृद्धि हुई ।

(10) कुछ पक्षों द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि यह मूल्यांकन करना आवश्यक है कि क्या वृद्धि अन-देखे घटनाचक्र के परिणामस्वरूप है और क्या गैट के अधीन भारत द्वारा लगाई गई बाध्यताओं के प्रभाव के कारण है । "अनदेखे घटनाचक्र के परिणास्वरूप'' के संदर्भ में हैटर्स फर केस की ओर भी ध्यान दिलाया गया है जिसमें इस मद को कार्यरत पक्ष द्वारा निम्नानुसार व्याख्या की गई थी :-

'अनदेखे घटनाचक्र' शब्दों की व्याख्या संगत टैरिफ छूट की बातचीत के पश्चात होने वाले मुख्य घटनाचक्र से है जो कि यह उम्मीद करने के लिए उचित नही होगा कि छूट देने वाले देशों के वार्ता-कारों ने, उस समय जब छूट के बारे में बात की गई, इन अवस्थाओं को देखा था, या उन्हें देखना चाहिए था ।

मद 'अनदेखे घटनाचक्र' शब्दों के संबंध में अर्जेन्टीना फुटवियर और कोरियन डेयरी प्राड-क्टस, दोनों के मामले में अपीलीय अधिकारी ने महसूस किया है कि :-

''अनदेखे घटनाचक्र के कारण और अनुच्छेद XIX के उपपैराग्राफ (क) में इस समझौते के अधीन सदस्य द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धो के परिणामस्वरूप, जिसमें कि मूल्य छूट भी शामिल है'' मद के अर्थ को निर्धारित करने के लिए हमें अनुच्छेद XIX के प्रयोजनों और उद्देश्यों की रोशनी में और उनके संदर्भ में हमे इन शब्दों का उनके सामान्य अर्थ में परीक्षण करना चाहिए । पहले हम इन शब्दों का सामान्य अर्थ देखते है "अनदेखे घटनाचक्र'' के अर्थानुसार हम नोट करते है कि "अनदेखे'' का शब्दकोषीय अर्थ विशेषतया जैसा कि यह शब्द घटनाचक्र से संबंधित है "अप्रत्याशित' न देखा जा सकने वाला के साथ पर्या-यवाची है । दूसरी ओर शब्दों में व्याख्या दी है अकाल्पनिक या देखे जा सकने वाले या कहे जाने वाले या प्रत्याशित हो (अवधारणा शामिल) इस प्रकार हमें दिखाई देता है कि ''आकस्मिक घटनाचक्र'' के परिणा-मस्वरूप वाक्य के सामान्य अर्थ की अपेक्षा है कि घटनाचक्र जिनके कारण, इतनी वर्धित मात्रा में और इस प्रकार की अवस्थाओं के अधीन एक उत्पाद का आयात किया जा रहा है कि इससे घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हुई है या इसकी आशंका है, अप्रत्याशित होने चाहिए । वाक्यांश इस समझौते के अधीन किसी देश द्वारा उपगत बाध्यताओं के प्रभाव से, जिसमें टैरिफ छूट शामिल है'' के संबंध में हमे विश्वास है कि इस वाक्यांश का साधारण अर्थ है कि तथ्य की बात की तरह इसका प्रदर्शन किया जाना चाहिए कि आयातक सदस्य द्वारा गैट 1994 के अधीन बाध्यताएँ उपगत है, जिसमें टैरिफ छूट शामिल है (अवधारणा जोड़ी गई है) यहाँ हम नोट करते है कि गैट 1994 के साथ संलग्न अनुसूचियों को गैट 1994 के अनुच्छेद II के पैराग्राफ 7 के अनुसार इस समझौते के भाग -I का आवश्यक हिस्सा बनाया है । इसीलिए किसी सदस्य की अनुसूची में कोई छूट या प्रतिबद्धता गैट 1994 के अनुच्छेद-II में बाध्यताओं के अधीन है ।

अपीलीय अधिकारी ने आकस्मिक और न देखे जाने योग्य के बीच विभेद किया है । उन्होंने आकस्मिक घटनाचक्र को अप्रत्याशित घटनाचक्र का पर्यायवाची माना है । वाक्यांश जो कि यह आशा करने के विचारणीय नही होगा कि छूट देने वाले देश के समझौताकारों को, जब छूट के बारे में समझौता किया गया था, के समय प्रत्याशित था, तथापि अलग मानक स्थापित करता प्रतीत होता है जो न देखे जाने योग्य के क्षेत्र में ज्यादा दिखाई देता है जिसका कि अपीलीय अधिकारी ने आकस्मिक विभेद कर दिया है ।

(11) उन घटनाचक्रो, जिनकी वजह से वर्धित आयात परिणित हुआ है, के संबंध में आवेदकों ने प्रस्तुत किया कि पेंट आवरक के रूप में मैथीलिन क्लोराइड का सामान्य प्रयोग अब कठोर यूरोपीय और अमेरिकी वातावरणीय विनियमों के कारण सीमित किया जा रहा है । परिणामस्वरूप यूरोपीय उत्पादकों ने अपने अतिरिक्त उत्पादन हेतु बाजार खोजना प्रारंभ कर दिया है । उन्होंने अपने कथन के समर्थन में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन (ओ एस एच ए) अमेरिका द्वारा जारी दिनांक 10 अप्रैल, 1997 से प्रभावी अंतिम नियम की एक प्रति भी प्रस्तुत की है । इसके साथ-साथ पूर्व में अतिरिक्त उत्पादन का रूख दक्षिण पूर्व एशिया बाजारों की ओर किया गया था जिसने कि उनकी अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी में कारण अन्य बाजारों जिसमें कि भारत भी शामिल है, की ओर अपना रास्ता खोजना शुरू किया । कुछ पक्षो द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि वह अवधि जो कीमतों में कमी दर्शाती है ताजा यादाश्त में कच्चे माल की न्यूनतम कीमतों के साथ सम्पात करती है, दक्षिण एशिया संकट भी साथ जुड़ा है, जिससे विश्व स्तर पर मूल्यों में कमी हुई है । कुछ पक्षों द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदकों ने आरोप लगाया है कि वातावरणीय नियमों के परिणामस्वरूप यूरोप में भारतीय माल की बिक्री कम हो रही है । यद्यपि ओ एस एच ए विनियमों के बारे में सबूत दिया गया है जो कि अमेरिका से संबंधित है । इस संबंध में यह महसूस किया जाता है कि जबकि यह तथ्य की बात है कि ओ एस एच ए विनियमों का संबंध अमेरिका से है, आवेदकों ने 1999 में यूरोपीय विलायकों की बिक्री के बारे विवरण दर्शाती अगस्त, 2000 के ई सी एस ए (यूरोपियन क्लोरिनेटिड साल्वेंट एशोसियेशन) बुलेटिन की प्रति प्रस्तुत की है । यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करती है कि संयुक्त ई सी एस ए बिक्री आँकड़ा और यूरोस्टेट आयात आंकड़ो के अनुसार 1999 में विशुद्ध क्लोरिनेटिड विलायकों के लिए पश्चिमी यूरोपीय बाजार में कुल 303,000 टन था, 1998 की तुलना में 1.6% की कमी इसमे आगे रिपोर्ट दी गई है वी ओ सी या विलायक उत्सर्जन निर्देशीय बड़े पैमाने पर कम होते यूरोपीय क्लोरिनेटिड्ड साल्वेट बिक्री वाल्यूम को स्पष्ट करता है । यह अप्रैल 2001 तक ई यू सदस्य राज्यों में लागू हो जानी चाहिए जबकि नए स्थापन्न को कठोर उत्सर्जन सीमाएँ प्राप्त करना पड़ेगा । सभी नए निवेश पहले ही इन सीमाओं को ध्यान में रख कर हो रहे है ।

ई सी एस ए बुलेटिन भी प्रकट करती है कि मेथीलिन क्लोराइड की बिक्री जो कि, 1996 में 141 हजार मी. टन से 1997 में 151 हजार मी.टन तक बढ़ गई थी, उसके बाद 1998 और 1999 में 150 हजार मी.टन तक गिर गई । उपरोक्त चर्चा यह प्रमाणित करती है कि मैथीलिन क्लोराइड का प्रयोग न केवल अमेरिका में बल्कि यूरोप मे भी नियन्त्रित है ।

इसके अलावा यह भी तथ्य की बात है कि जबकि घरेलू उद्योग को विश्वस्तरीय उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु खोला है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर उत्पादन हेतु जिम्मेवार तथ्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी वातावरण के प्रावधानों की कमी है । यह सार्वजनिक जानकारी है कि अंतर्राष्ट्रीय

स्तर के मूल्यों की तुलना में भारत में विद्युत, ईंधन और वित्त उपलब्ध नही कराया जा सका । आयात में वृद्धि स्पष्ट रूप में इन सभी अप्रत्याशित घटनाचक्रों के परिणामस्वरूप है ।

(12) जहां तक मैथिलीन क्लोराइड के संबंध में भारत द्वारा उपगत बाध्यताओं का प्रश्न है, यह स्पष्ट करना उचित है कि मैथिलीन क्लोराइड एक ऐसा उत्पादन है जिसके बारे में अन्य विषयों में, भारत ने दोनो अर्थात अपनी छूट की अनुसूची में टैरिफ छूट शामिल करके और आयात को प्रतिबंध रहित करके अर्थात बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबंधों के मैथिलीन क्लोराइड के आयात की अनुमति देने का प्रावधान किया है ।

(13) उपरोक्त विश्लेषण की दृष्टि में, यह महसूस किया जाता है कि भारत में मैथिलीन क्लोराइड वर्धित मात्रा मे आयात हुआ है । मैथिलीन क्लोराइड का आयात विशुद्ध रूप में, और साथ ही घरेलू उत्पादन की तुलना में , विशेषकर 1997-98 से 1999-2000 के दौरान बढा है जो कि ऐसा समय है जो घरेलू उद्योग की वर्तमान अवस्था पर अधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रगट करता है । आयात में वृद्धि अप्रत्याशित घटनाचक्र के परिणामस्वरूप एवं भारत द्वारा उपगत प्रतिबंध के परिणामस्वरूप हुई है ।

5. गंभीर क्षति

(क) कुछ पक्षों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यह पर्याप्त नहीं है कि आयात में वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन आयात ऐसी अवस्था के अधीन हुआ होना चाहिए जिससे कि गंभीर क्षति हुई हो या इसकी आशंका हो, " इस सबंध में अर्जेन्टीना फुटवियर में पेनल रिपोर्ट पर विश्वास किया गया है जो प्रस्तुत करती है :-

"हमारी दृष्टि में, वाक्यांश "ऐसी अवस्थाओं के अधीन" एक अलग मूल्य विश्लेषण हेतु विशेष वैधानिक आवश्यकताओं का निर्माण नहीं करती और वर्धित आयात के अलावा आयात, क्षति और कार्योत्पादन अनुच्छेद 4.2 में दिए गए है ।" हम महसूस करते हैं कि रक्षोपाय उपायों को लागू करने के लिए मूलभूत वैधानिक आवश्यकता (अर्थात अवस्था) अनुच्छेद 2.1 में दी गई है और आगे अनुच्छेद 4.2 इन आवश्यकताओं के कार्यात्मक पक्ष को विकसित करता है । हम विश्वास करते हैं कि वाक्यांश "ऐसी अवस्थाओं के अधीन" आयातक देश के बाजार में आयातित उत्पादों, घरेलू जैसे या सीधे प्रतिस्पर्धी उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की आवश्यकताओं का विश्लेषण करने की ओर इंगित करेगा ।"

(ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8ख का खंड 6 (ग) "गंभीर क्षति" को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है कि एक ऐसी क्षति जो कि घरेलू उद्योग की अवस्था में विशेष सम्पूर्ण हानि उत्पन्न कर रही है और उपखंड (घ) परिभाषित करता है कि "गंभीर क्षति की आशंका का अर्थ है कि एक स्पष्ट और गंभीर क्षति का आसन्न खतरा । आगे यह निर्धारित करने के लिए कि क्या वर्धित आयात ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है या क्षति की आशंका है, रक्षोपाय शुल्क नियमावली में यह अपेक्षित है कि महानिदेशक एक उद्देश्यात्मक और उस उद्योग की परिस्थिति पर असर डालने वाले कूतने योग्य सभी संगत तथ्यों का मूल्यांकन करे विशेषकर संबंधित वस्तु के आयात में वृद्धि की दर और राशि की स्थिर रूप में और सापेक्ष रूप में, वर्धित आयात द्वारा लिए गए घरेलू उद्योग के शेयर, बिक्री के स्तर में परिवर्तन, उत्पादन उत्पादकता, क्षमता उपयोगिता, लाभ और हानि और रोजगार का मूल्यांकन । इन तथ्यों का विश्लेषण नीचे दर्शाया गया है :-

(1) **उत्पादन**

घरेलू उत्पादकों द्वारा मैथिलीन क्लोराइड का उत्पादन 1995-96 में 16340 मी.टन था । 1996-97 में 15588 मी.टन की थोड़ी गिरावट के अलावा, घरेलू उत्पादन उसके पश्चात् 1997-98 में 19111 मी.टन तक, 1998-99 में 25091 मी.टन और 1999-2000 में 26138 मी.टन तक बढ़ा । 1997-98 में घरेलू उत्पादन 1996-97 की तुलना में 3523 मी.टन या 22.6% ज्यादा हुआ । 1998-99 में घरेलू उत्पादन 1997-98 की तुलना में 5980 मी.टन या 31.3% बढ़ा । तथापि 1999-2000 में घरेलू उत्पादन 1047 मी.टन तक बढ़ा अर्थात 1998-99 की तुलना में केवल 4.2% की वृद्धि हुई ।

(2) **क्षमता उपयोगिता**

घरेलू उद्योगों के पास 1995-96 और 1996-97 में 14910 मी.टन प्रतिवर्ष मैथिलीन क्लोराइड के उत्पादन की क्षमता थी । तथापि, केम्प्लास्ट, ने अपनी क्लोरोमीथेन्स क्षमता का 30,000 मी.टन प्रतिवर्ष तक विस्तार किया और एस आर एफ ने भी 1997-98 में क्लोरोमीथेन्स संयंत्र की स्थापना की । इसके परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योगो की क्षमता 1997-98 में 30,385 मी.टन तक बढ़ गई । एस आर एफ द्वारा किए गए और सुधारों के कारण 1998-99 और 1999-2000 में क्षमता (22410+10175) 32585 मी.टन प्रतिवर्ष तक बढ़ गई । 1995-96 से 1999-2000 के वर्षो के दौरान कुल घरेलू उत्पादन क्रमशः 16340 मी.टन, 15588 मी.टन, 19111 मी.टन, 25091 मी.टन और 26138 मी.टन था । इसलिए घरेलू उद्योगों की क्षमता उपयोगिता क्रमशः 109.6%, 104.5%, 62.9%, 77% और 80.2% थी । इस प्रकार 1995-96 की तुलना में 1997-98 से 1999-2000 की अवधि के दौरान घरेलू उद्योगों को क्षमता उपयोगिता मे हानि उठानी पड़ी लेकिन 1997-98 और 1999-2000 के दौरान क्षमता उपयोगिता में 62.9% से 80.2% तक का सुधार देखा गया ।

(3) **बिक्री**

(1) नीचे दी गई सारिणी में 1995-96 से 1999-2000 की अवधि के दौरान तीनों घरेलू उत्पादकों द्वारा की गई मैथिलीन क्लोराइड की घरेलू बिक्री के आँकड़े दर्शाए गए है:-

सारिणी-4

घरेलू बिक्री मी.टन में

वर्ष	जी ए सी एल	केम्प्लास्ट	एस आर एफ	कुल
1995-96	9273	6092		15365
1996-97	9002	5617		14619

1997-98	7459	9156	1583	18198
1998-99	8207	12355	2405	22967
1999-2K	8152	12822	3307	24281

उपरोक्त सारिणीकृत आँकड़ों से, यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री 1995-96 में 15365 मी.टन से 1999-2000 में 24281 मी.टन तक बढ़ गई ।

(2) तथापि इस अवधि के दौरान स्पष्ट घरेलू खपत, नीचे दी गई सारिणी के अनुसार थी ।

सारिणी -5

आभासी घरेलू खपत(मी.टन)

वर्ष	घरेलू बिक्री	आयात	स्पष्ट घरेलू खपत
1995-96	15365	10776	26141
1996-97	14619	12302	26921
1997-98	18198	7390	25588
1998-99	22967	9269	32236
1999-2000	24281	13671	37952

उपरोक्त सारिणीबद्ध आँकड़ों से यह देखा गया है कि 1995-96 से 1997-98 की अवधि के दौरान आभासी घरेलू खपत औसतन 26217 मी.टन प्रतिवर्ष थी जो कि 1998-99 मे सारभूत रूप में बढ़ गई । तत्काल पूर्व वर्ष 1997-98 की तुलना में 1998-99 में आभासी घरेलू खपत 6648 मी.टन या लगभग 26% तक बढ़ गई । इसी प्रकार की 26.2% की वृद्धि 1997-98 के मुकाबले घरेलू बिक्री में भी दर्ज की गई । तथापि 1999-2000 में आभासी घरेलू खपत 17.73% तक बढ़ी परन्तु घरेलू बिक्री केवल 5.72% तक ही बढ़ी । इस प्रकार जिस तरह आभासी घरेलू खपत में वृद्धि हुई उस प्रकार की वृद्धि घरेलू बिक्री में नहीं हुई । घरेलू बिक्री में 5.72% की थोड़ी सी वृद्धि भी, घरेलू उत्पादकों द्वारा बिक्री मूल्य अत्यधिक कम कर देने के कारण, प्राप्त की जा सकी ।

(3) जी ए सी एल के मामले में कुल बिक्री में 1998-99 मे 30121 रू0प्रति मी.टन से 1999-2000 में 20927 रू. प्रति मी.टन या लगभग 30% तक गिरावट आई । केम्प्लास्ट के मामले में, कुल बिक्री मूल्य 1998-99 में 25117 रू0 प्रति मी.टन से 1999-2000 में 20344 रू0प्रति मी0टन अर्थात लगभग 19% तक और एस आर एफ के मामले में कुल बिक्री क्रमशः 23120 रू0 प्रति मी0टन (बिक्री टैंकर्स में) से 18750 रू0 प्रति मी0टन अर्थात लगभग 19% तक गिर गई । इसलिए यह महसूस किया

जाता है कि घरेलू उत्पादक स्पष्ट घरेलू खपत में अपना शेयर कायम नही रख सके और जो थोड़ी वृद्धि उन्होंने प्राप्त की वह बिक्री मूल्यों में लगभग 19% से 30% तक की कमी के परिणामस्वरूप थी ।

(4) **भंडार**

1998-99 में 196 मी0टन तक कम हो जाने से पहले तीनों घरेलू उत्पादकों के अंतशेष 1995-96 में 289 मी0टन था जो 1996-97 में 376 मी0टन और 1997-98 में 515 मी.टन तक बढ़ गया । तथापि 1999-2000 में तथापि अंतशेष में 580 मी0 टन तक की उच्चतम स्तर की वृद्धि हुई ।

(5) **रोजगार**

तीनों घरेलू उत्पादकों ने सूचित किया है कि रोजगार में कोई हानि नहीं हुई है ।

(6) **उत्पादकता**

घरेलू उत्पादकों ने उत्पादकता में भी कमी का उल्लेख नहीं किया है अर्थात वास्तव में 1997-98 से 1999-2000 तक की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि हुई है और रोजगार में कोई कमी नहीं हुई है ।

(7) लाभांश

जहां तक उनके मैथीलिन क्लोराइड संचालनों का संबंध है घटित बिक्री वसूलियों का प्रभाव तीनों घरेलू उत्पादकों के लाभांश पर पड़ा । जी ए सी एल के मामले में 1998-99 में मैंथीलिन क्लोराइड पर उनका लाभ बहुत तेजी से गिरा और जैसा कि उत्पादन लागत के आँकड़ों और बिक्री वसूलियों से सत्यापित किया गया है, 1999-2000 में लाभ, हानि में परिवर्तित हो गया । इसी प्रकार कैम्प्लास्ट के मामले में भी, 1998-99 में जहाँ लाभ हुआ था, वह 1999-2000 में हानियों में परिवर्तित हो गया । अतः दोनों आवेदक कम्पनियों को मैथीलिन क्लोराइड के संचालन में जहाँ लाभ हो रहा था , 1999-2000 में उन्होंने नुकसान उठाया ।

(ग) उपरोक्त विश्लेषण से यह देखा गया कि जहाँ घरेलू उद्योग ने उत्पादन, उपयोगिता क्षमता और उत्पादकता में सुधार पंजीकृत कराया वहीं उन्होंने अपना बाजार अंश खो दिया, बिक्री की वसूलियों में कमी हुई, लाभ हानि में बदल गए और कुछ भडारों का निर्माण हुआ । इसके अतिरिक्त निश्चित लागत को वितरित करने के लिए और क्षति को कम करने के लिए उनको अनुकूलन स्तर पर संचालन करना पड़ा जो किसी भी प्रकार से उनके उन्नत निष्पादन का प्रतिबिम्ब प्रतीत नहीं होता । कुछ पक्षों ने कहा है कि रक्षोपाय मामलों में क्षति विश्लेषण के लिए कीमत एक महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है । तथापि यह तर्क संगत नहीं है । वास्तव में घरेलू बाजार में जिन कीमतों पर वस्तुएं बेची जाती हैं, उसके द्वारा उठाई गई क्षति में , उसका एक अत्यंन्त महत्वपूर्ण हाथ होता है । सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8बी, जो केन्द्रीय सरकार को रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण का अधिकार देती है, अनुबद्ध करती है कि "जैसे ठीक समझा जाए, इस प्रकार की जाँच के संचालन के पश्चात् यदि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि कोई वस्तु इतनी अधिक मात्रा

में और ऐसी परिस्थितियों के अधीन आयात हो रही हो जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई हो अथवा आशंका हो तो, सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करके उस वस्तु पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित कर सकती है ।" इस धारा के अध्ध्यन से यह एकदम स्पष्ट है कि जिन परिस्थितियों के अधीन वर्धित आयात शुरू हुए, रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण के लिए जाँच की आवश्यकता है और इसलिए भारत में जिन कीमतों पर आयात हुए वास्तव में जाँच-पड़ताल के योग्य है क्योंकि वास्तविकता जानने के लिए कीमत एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिस पर निर्णय लेने के लिए विचार करने की आवश्यकता है । घरेलू उत्पादकों की गंभीर क्षति अथवा आशंका को आँकने के लिए बिक्री के स्तर में बदलाव, लाभांश इत्यादि कानूनन अपेक्षित है । ये तथ्य बेशक प्रतिस्पर्धी उत्पादों की कीमतों पर निर्भर करते हैं और उस संदर्भ में आयात कीमतें संगत हो जाती है और विशेषकर घरेलू स्थिति पर उनके प्रभाव आँकने के लिए परीक्षण आवश्यक है ।

उपरोक्त की दृष्टि से यदि मैथीलिन क्लोराइड का आयात निरंतर अनुमत रहे तो मैथीलिन क्लोराइड के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति के खतरे हैं ।

(6) **क्षति के कारण**

जहां तक गभीर क्षति का प्रश्न है यह देखा गया कि मैथीलिन क्लोराइड की सी आई एफ कीमतें 1997-98 से 1999-2000 के दौरान गिर रही है । 1997 की प्रथम तिमाही में जो सी आई एफ कीमत 678 अमरीकी डालर प्रति मी0 टन थी यह 1997 की दूसरी तिमाही में 625 अमरीकी डालर प्रति मी0 टन 1997 की तीसरी तिमाही में 608 अमेरिकी डालर प्रति मी.टन तक गिर गई । 1997 की आखिरी तिमाही में कीमत 661 अमरीकी डालर प्रति मी0टन तक बढ़ गई लेकिन 1998 की प्रथम तिमाही में फिर से 612 अमरीकी डालर प्रति मी0टन तक गिर गई । उसके पश्चात् 1998 की दूसरी तिमाही में सी आई एफ आयात कीमतें 590 अमरीकी डालर प्रति मी0 टन से 1998 की तीसरी तिमाही में 518 अमरीकी डालर प्रति मी0 टन तक की प्रथम तिमाही में, 465 अमरीकी डालर प्रति मी0टन से 1999 की दूसरी, तीसरी और आखिरी तिमाही में क्रमशः 386 अमरीकी डालर प्रति मी0टन, 331अमरीकी डालर प्रति मी0 टनऔर 317 अमरीकी डालर प्रति मी0टन तक तेजी से गिरी । 2000 की प्रथम तिमाही में आयात की सी आई एफ कीमतें 270 से -275 अमरीकी डालर तक और गिर गई । रू0 प्रति मी0 टन के अनुसार सी आई एफ कीमतें 1999 की दूसरी तिमाही मे 14545 रू0 से 1999 की चौथी तिमाही मे 13626/- रू0 गिरी । उसी अवधि में मैथीलिन क्लोराइड के आयातों में वृद्धि होती रही । मैथीलिन क्लोराइड के आयात जो 1997-98 में 7390 मी0टन थे, बढ़कर 1998-99 में 9269 मी0टन और 1999-2000 में 13671 मी0टन तक बढ़ गए । इस प्रकार 1997-98 की तुलना में 1998-99 में आयात लगभग 25.3% बढ़े और 1998-99 की तुलना में 99-2000 में लगभग 47.5% बढ़े । आयात की इस वृद्धि की तुलना में घरेलू उत्पादन में 1997-98 की तुलना में 1998-99 में 32.4% की वृद्धि हुई लेकिन 1999-2000 में उत्पादन केवल 4.2% बढ़ा । घरेलू उत्पादकों ने अपने विक्रय मूल्य कम करके आभासी घरेलू उपभोग में अपना अंश बनाए रखने का प्रयत्न किया । जी ए सी एल के मामले में 1998-99 में शुद्ध विक्रय मूल्य में 30,121/- रू0 प्रति मी0टन से 20,927/- रू0 प्रति मी0टन तक की गिरावट हुई । कैम्प्लास्ट के मामले में 1998-99 में शुद्ध विक्रय मूल्य में 25,117/- रू0 से 1999-2000 में 20,344/- रू0 प्रति मी0टन तक की कमी हुई । एस आर एफ के मामले में इसमें 1998-99 में 23,120/- रू0 प्रति मी0टन (टैंकर बिक्री) से 1999-2000 में 18,750/- रू0 प्रति

मी0टन तक की गिरावट हुई । विक्रय मूल्यों में तेजी से इन गिरावटों के बावजूद घरेलू उत्पादक अपने बाजार अंश को कायम नहीं रख सके । 1999-2000 में आभासी घरेलू उपभोग में 17.73% तक की वृद्धि हुई लेकिन घरेलू उत्पादक केवल 5.72% की वृद्धि कर सके । 1999-2000 में अपने 2769 मी0टन के अंश का घाटा हुआ (117.73% x22976-24281) । उनके द्वारा खोए गए बाजार शेयर पर आयात द्वारा कब्जा कर लिया गया जो कि अतिरिक्त 2759 मी.टन (13671-9269x117.73%) तक बढ़ गया ।

(2) इस प्रकार मैथीलिन क्लोराइड के घरेलू उत्पादकों को मैथीलिन क्लोराइड के वर्धित आयातों के कारण क्षति हुई । कुछ पक्षों द्वारा तर्क दिया गया है कि यदि सस्ते आयात घरेलू उद्योग को क्षति का कारण था,तो यह ठीक नहीं है क्योंकि हाल ही में अर्थात 2000 की दूसरी छःमाही में मैथीलिन क्लोराइड की आयात कीमतों ने पर्याप्त सुधार दर्शाया है । यह कहा गया है कि मैथीलिन क्लोराइड की वर्तमान सी आई एफ कीमतें 450 अमरीकी डालर प्रति मी0टन है और आवेदकों के अपने कथन के अनुसार नुकसान न पहुंचाने वाली कीमत 350 अमरीकी डालर प्रति टन दी है ।

(3) इस विषय में यह देखा गया कि एक निर्णय पर पहुंचने के लिए मैथीलिन क्लोराइड की वर्तमान सी आई एफ कीमतें आधार नहीं हो सकती क्योंकि यह जाँच से पूर्व की कीमत है जिसका विचाराधीन अवधि के दौरान चल रही कीमतों से कोई संबंध नहीं हैं । आयात कीमतों में वृद्धि विभिन्न कारणों से हुई होगी जिसने घरेलू उत्पादन की लागत को भी प्रभावित किया होगा । जाँच से पूर्व की कीमतों पर निष्कर्ष निकालना न तो व्यवहार्य है और न ही वाँछनीय हैं ।

(4) कुछ पक्षों ने प्रवर्तित कीमत प्रक्रिया, यथा संदर्भित कीमत से कम कीमतों पर होने वाले आयात पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित कर दिया जाए, पर बहस की है । यह सुझाव यद्यपि रक्षोपाय जाँच के संदर्भ में कानूनन तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता क्योंकि जब कम कीमतों पर आयात हुए हैं यह एक मूल्य आधारित प्रतीत होगा तथापि अनुचित नहीं हैं लेकिन वह भेद उत्पन्न करेगी और रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित देय होगी जबकि आयातों की ऊंची कीमतें रक्षोपाय शुल्क को प्रभावित नहीं करेंगी । ऐसा प्रतीत नहीं होता कि यह रक्षोपाय उपायों के उद्देश्यों को पूरा कर सकेगा जो घरेलू उत्पादकों को प्रतिस्पर्धी बनने के लिए प्रयत्न करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए है न कि घरेलू उत्पादकों अथवा निर्यातकों को असक्षमता हेतु प्रोत्साहित करने के लिए । असक्षम उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ प्रवर्तित कीमत प्रक्रिया उल्टे सक्षम विदेशी उत्पादकों को दण्डित करेगी ।

7. समायोजन योजना

आवेदकों ने उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों और अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए बनाई गई सकारात्मक समायोजन योजना का विवरण दिया है । आवेदकों ने कहा है कि वे अपनी तकनीक को निरंतर उन्नत कर रहे हैं और मैथीलिन क्लोराइड की प्रति यूनिट संचालन लागत को कम करने के उद्देश्य से वे अपनी विनिर्माण सुविधाओं के मार्गावरोधों को समाप्त करेंगे ।

(2) मैसर्स जी ए सी एल ने शुरू में दावा किया था कि प्रति मी0टन मैथीलिन क्लोराइड की लागत में गिरावट निम्नलिखित कारणों से होगी :-

(क) पैंकेजिंग पर बचत

(ख) भाप की लागत कम करने के लिए फरनैस आयल के स्थान पर प्राकृतिक गैस का प्रयोग

(ग) उत्पादन लागत कम करने के लिए नेप्था के स्थान पर प्राकृतिक गैस का प्रयोग एवं विद्युत का चक्रीकरण ।

(3) जी ए सी एल ने अपने आवेदन में विशेषकर यह कहा है कि प्राकृतिक गैस के साथ नाप्था का स्थानापन्न प्रयोग अगले 12 महीनों में पा लिया जाएगा और तीन वर्षो में जी ए सी एल अपने मैथीलिन क्लोराइड की उत्पादन लागत को लगभग (गोपनीय) रू0 प्रति मी0 टन तक कम करने की स्थिति में होगा । इसी प्रकार कैम्प्लास्ट ने कहा था कि कैप्टिव उत्पादन से विद्युत लेकर वे मैथीलिन क्लोराइड में (गोपनीय) रू0 प्रति मी0 टन बचत कर सकेंगे । सार्वजनिक सुनवाई के दौरान प्रश्नावली के अपने उत्तर में और लिखित निवेदन में जी ए सी एल ने कहा है कि मैथीलिन क्लोराइड के विनिर्माण में क्लोरीन और विद्युत मुख्य अन्तर्वस्तुए हैं । क्लोरीन की लागत कम करने के लिए उन्होंने मैसर्स गुजरात स्टेट पैट्रोलियम कार्पोरेशन से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए गठबंधन किया है ताकि दाहेज में संचालित अपने 90 मेगा-वाट कैप्टिव विद्युत संयंत्र को नाप्था से प्राकृतिक गैस पर बदल सकें । उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा है कि दाहेज से वडोंदरा संयंत्र को सस्ती विद्युत देने से विद्युत लागत को कम करने में उनको मदद मिलेगी जिससे क्लोरीन की लागत और उसके फलस्वरूप मैथीलिन क्लोराइड की लागत में कमी होगी । उन्होंने यह भी कहा है कि विद्युत की लागत में कमी मैथीलिन क्लोराइड के विनिर्माण में खपत की गई विद्युत की लागत में भी कमी करेगी । इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि वे पैकिंग लागतों में भी कमी करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और वे अपने कर्जो की लागत में गिरावट लाने के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों से विचार-विमर्श कर रहे हैं जिससे मैथीलिन क्लोराइड की लागत में और अधिक गिरावट होगी । कैम्प्लास्ट ने कहा है कि वे निम्न अणुक अनुपात पर अपना संयंत्र संचालित करने का सुझाव रखते है जिससे कि मैथीलिन क्लोराइड का अधिकतम उत्पादन हो सके । उन्होंने कहा है कि इसके परिणामस्वरूप लागत में (गोपनीय) रू0 प्रति मी0 टन की बचत होगी और फिर से उनको उम्मीद है कि काँडला की जगह यदि कोचीन से मैथानोल का आयात किया जाए तो मैथीलिन क्लोराइड की लागत में (गोपनीय) रू0 तक की गिरावट होगी । इसलिए घरेलू उत्पादकों ने तीन साल के लिए रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण का अनुरोध किया है ।

(4) आवेदकों द्वारा प्रस्तुत समायोजन योजना का परीक्षण किया गया है । तथ्यों के दृष्टिकोण से कि आयातित मैथीलिन क्लोराइड अधिकतर टैंकरों में आया है, मैथीलिन क्लोराइड की थोक में बिक्री की कीमत की तुलना की आवश्यकता है । इसलिए पैकेजिंग की लागत को कम करने के प्रयत्नों को छोड़ दिया जाये । इसके अलावा तीन सालों के लिए रक्षोपाय शुल्क का सही तरीके से अधिरोपण हेतु विचार करने की आवश्यकता है। पुनर्संरचना योजना का विश्लेषण करने के पश्चात् और योजनाओं के कार्यान्वयन

की संभावनाओं को देखते हुए यह विचार किया गया है कि घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति से बचाने के लिए केवल एक वर्ष की छोटी अवधि पर्याप्त होनी चाहिए ।

सार्वजनिक हित

(1) कुछ पक्षों ने बहस की है कि रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण सार्वजनिक हित में किसी प्रकार से सहायता नहीं करेगा । इसके विपरीत रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण बहुत से उद्योग के अन्तिम प्रयोगकर्ताओं की लागत पर अत्यधिक बोझ डालेगा विशेषकर औषधि के विनिर्माताओं पर और अन्ततोगत्वा उनके उत्पादों के उपभोक्ताओं के लिए कीमतों में वद्धि होगी । यद्यपि आवेदकों ने कहा है कि मैथीलिन क्लोराइड की लागत का प्रभाव, अन्तिम सूत्रबद्ध उत्पाद की कीमत जो उपभोग करने वाली जनता द्वारा दिया जाना है, नगण्य होगा ।

(2) इस विषय में यह देखा गया कि "सार्वजनिक हित" अभिव्यक्ति अपने दायरे में केवल उपभोक्ता के हित को आच्छादित नहीं करती । इस शब्द का अधिक व्यापक अर्थ है जो अपने दायरे में बड़े सामूहिक हित के साथ सामान्य कल्याण को भी शामिल करता है । जहाँ रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण के परिणामस्वरूप खरीदारों के लिए आयातित मैथीलिन क्लोराइड की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, यह उसके अन्तिम उत्पाद विर्निमाताओं को भी प्रभावित कर सकती है । इसलिए रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण के उद्देश्यों को भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है । रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण का उद्देश्य घरेलू उद्योग को वर्धित आयातों से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा की नई स्थिति से निपटने के लिए सकारात्मक समायोजन बनाने के लिए घरेलू उद्योग को समय उपलब्ध करवाना है । इसलिए कुछ पर्याप्त समय के लिए रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण ग्राहकों के लिए न केवल प्रतिकूल प्रभावों को, यदि कोई हो, तो कम करेगा बल्कि उनको प्रस्पिर्धी कीमतों पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यापक चुनाव भी प्रदान करेगा । जिन घरेलू उत्पादकों ने बड़े सार्वजनिक निवेशों से संयंत्र स्थापित किए है बहुत लोगों को रोजगार देकर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बहुमूल्य योगदान देते है । रक्षोपाय शुल्क, जो घरेलू उत्पादकों को वर्धित आयातों द्वारा उत्पन्न प्रतिस्पर्धा की स्थिति में टिकाए रखेगा वहीं वह लम्बे समय तक मैथीलिन क्लोराइड के क्रेताओं और उससे विनिर्मित उत्पादों के क्रेताओं के हित में भी होगा । इसलिए यह महसूस किया जाता है कि मैथीलिन क्लोराइड पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण सार्वजनिक हित में होगा ।

9. अनंतिम रक्षोपाय शुल्क

वास्तव में इस मामले में अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् क्योंकि अंतिम निष्कर्ष जारी किए जा रहे हैं, रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण के उद्देश्यों के लिए कोई प्रारंभिक जॉच परिणाम देने की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

(10) भारत को किए जाने वाले निर्यात में देशों का अंश

यथा सत्यापित सूचना के आधार पर 1999-2000 की अवधि के दौराना भारत में मैथीलिन क्लोराइड के आयातों के विषय में, भारत को निर्यात करने में विभिन्न देशों के अंश निम्न प्रकार से थे:-

सारिणी-6

देश/सीमा	आयात(मी0 टन)	अंश/प्रतिशतता
चीनी ताईपे	40.248	0.29
पी0 आर0 चीन	20.124	0.15
डैनमार्क	5.5	0.04
फ्रांस	1727	12.63
जर्मनी	4730.896	34.60
हाँगकाँग	20.124	0.15
नीदरलैंड	1763.247	12.90
साऊथ अफ्रीका	25.378	0.18
यू0के0	5238.477	38.33
यू0एस0ए0	100	0.73
कुल	13670.994	100

11. निष्कर्ष एवं संस्तुति

(1) उपरोक्त जाँच परिणामों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला गया है कि भारत में मैथीलिन क्लोराइड के वर्धित आयातों द्वारा घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति पहुंचाने की आशंका है और भारत में मैथीलिन क्लोराइड के आयातों पर एक साल की अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना सार्वजनित हित में होगा ।

(2) रक्षोपाय शुल्क की कितनी राशि निर्धारित की जाए कि घरेलू उद्योग की गंभीर क्षति को रोका जा सके और अनुकूल समायोजन को सरल बनाने के लिए जी ए सी एल और सी एस एल के उत्पादन की समस्त 1999-2000 की पूरे वर्ष की अवधि को अधिक प्रतिबिम्बित और सही होने के कारण भारित औसतन उत्पाद लागत को लिया गया है । घरेलू उत्पादकों ने लगाई पूँजी पर संभावित वापसी के आधार पर, निश्चित लाभ का दावा किया है । अतः कम से कम लाभ (गोपनीय) को उचित समझा गया है और अनुमत किया गया है । इसी प्रकार मैथीलिन क्लोराइड आयात की सी आई एफ कीमतें भी गत छः महीने अर्थात अक्टूबर, 1999 से मार्च, 2000 तक भारित औसतन आधार पर निकाली गई है । भूमि पर उतराई के प्रभारों के लिए सी आई एफ आयात कीमतों में समायोजन किया गया है । संरक्षण की सीमा घरेलू उद्योग की पुन-र्संरचना से होने वाले लाभ के आधार पर निकाली गई है और संरक्षण की सिफारिश केवल न्यूनतम समय के लिए की गई है जो घरेलू उद्योग को सकारात्मक समायोजन के लिए मदद करेगी । अतः यह संस्तुति की जाती है कि भारत में मैथीलिन क्लोराइड के वर्धित आयातों पर निम्नलिखित दरों पर

यथा मूल्य के आधार पर, न्यूनतम आवश्यकता के अधीन, घरेलू उद्योग को मैथीलिन क्लोराइड के वर्धित आयातों से हुई गंभीर क्षति की आशंका से संरक्षण के लिए, एक साल के लिए, रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित कर दिया जाए :—

संस्तुत कुल संरक्षण का स्तर %	वर्तमान संरक्षण %	संस्तुत रक्षोपाय शुल्क % (2) - (1)
(1)	(2)	(3)
38.5+11	38.5	11

[फा.सं. रक्षोपाय/जाँच/2/2000]

आर. के. गुप्ता, महानिदेशक

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL (SAFEGUARDS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2000

Sub: Safeguard investigation concerning import of Methylene Chloride into India—Final Findings.

G.S.R. 94(E).—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 and the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 thereof.

A. PROCEDURE

1. The Notice of Initiation of safeguard investigation concerning imports of Methylene Chloride into India was issued on 17-07-2000 and was published in the Gazette of India, Extraordinary on 18-07-2000 A copy of the Notice was sent to all known interested parties, namely :

Domestic Producers

(i) Gujarat Alkalies & Chemicals Limited (GACL), Gujarat

(ii) Chemplast Sanmar Limited, (CSL), Chennai

(iii) SRF Limited, (SRF), New Delhi.

Importers & Users Industries

(i) C. J. Shah & Co., Mumbai

(ii) Haresh Kumar & Co., Mumbai

(iii) Ranbaxy Laboratories Ltd., New Delhi.

(iv) Lupin Laboratories Ltd., Mumbai

(v) Kopran Ltd., Mumbai

(vi) Dr. Reddy's Laboratories Ltd., Hyderabad

(vii) Traxpo Trading Pvt. Ltd., Mumbai

(viii) Aurobindo Pharma Ltd., Hyderabad

(ix) Chemox Chemical Industries Ltd., Bharuch, Gujarat

(x) Indosol Drugs Pvt. Ltd., Ankleshwar, Gujarat
(xi) Siris Ltd., Hyderabad
(xii) Rallis, Mumbai
(xiii) United Phosphorus Ltd., Mumbai
(xiv) Cipla Ltd., Mumbai
(xv) J.K.Drugs & Pharmaceuticals Ltd., New Delhi.
(xvi) Max G.B.Ltd., Chandigarh

Exporters

(i) ICI Chemicals & Polymers Limited, U.K.
(ii) Solvay A.G., Belgium
(iii) Akzo Nobel NV, Netherlands
(iv) Elf Atochem, S.A., France (Now known as Atofina)
(v) Helm Ag., Germany
(vi) Larouche Industries International L.I.I., Germany (Returned undelivered by Postal authorities)
(vii) DOW Chemical Company, USA
(viii) ICC Chemical Corporation, USA
(ix) Vinmar International Ltd., USA

Associations

(i) Verband der Chemischen Indutrie – VCL, Germany
(ii) Chemical Safety Management Centre, Japan
(iii) Chemical Manufacturers Association, USA
(iv) European Chlorinated Solvent Association, Belgium

2. A copy of the notice alongwith the application and questionnaire was also sent to the governments of exporting countries through their High Commissions/Embassies in New Delhi namely Belgium, Brazil, Chinese Taipei, France, Germany, Hongkong, Hungary, Israel, Italy, Japan, the Netherlands, Russia, Spain, Switzerland, UK and USA.

3. Questionnaires were also sent on the same day to all known domestic producers, exporters and importers who were asked to submit their response by 28.08.2000.

4. The European Union/Delegation of European Commission in India also requested the Director General (Safeguard) to consider them as an interested party in the investigations. Their request as an

interested party was taken on record and they were furnished all relevant documents.

A letter dated 23.10.2000 was received from SRF Ltd., New Delhi, one of the domestic producers of Methylene Chloride extending support to the Applicants for imposition of safeguard duty. They have stated that they have a capacity to manufacture 10000 MT of Methylene Chloride per annum which they can fully utilise to meet local demand if prices are remunerative.

5. M/s. GACL and CSL requested extension of time to file their response to the questionnaire and accordingly they were permitted to file their response by 3rd September, 2000.

6. Replies to the Notice dated 17.07.2000 and to the questionnaire were received from the following parties:

Domestic Producers

(i) Gujarat Alkalies & Chemicals Limited, (GACL), Gujarat
(ii) Chemplast Sanmar Limited, (CSL), Chennai

Exporters

(i) Atofina, France
(ii) Helm Ag., Germany
(iii) ICI Chemicals – Polymers Ltd., U.K.(through counsel)
(iv) Solvay , Belgium

Exporting Governments

(i) Chinese Taipei, (Taipei Economic and Cultural Centre, New Delhi).
(ii) Embassy of the Republic of Hungary, New Delhi.

Importers & User Industries

(i) Ranbaxy Laboratories Ltd., New Delhi
(ii) Indosol Drugs Ltd., Mumbai
(iii) Aurobindo Pharma Ltd., Hyderabad
(iv) Lupin Laboratories Ltd., Mumbai

7. A team of officers did verification of the information considered necessary for the investigation and the outcome of the investigations was conveyed to the concerned parties who were visited and a copy of the investigation report was also placed in Public File.

8. A Public Hearing was given to all interested parties on 03.11.2000, notice for which was sent on 28.09.2000. During the Public Hearing the interested parties were requested to file their written submission of oral arguments made by them by 13.11.2000, collect replies filed by others on 14.11.2000 and to file rebuttals, if any, by 27.11.2000.

The following parties attended the Public Hearing:

(i) Gujarat Alkalies & Chemicals Limited, (GACL), Gujarat *
(ii) Chemplast Sanmar Limited, (CSL), Chennai*
(iii) SRF Ltd., New Delhi
(iv) Atofina, France
(v) ICI Chemicals – Polymers Ltd., U.K*
(vi) Chinese Taipei, (Taipei Economic and Cultural Centre, New Delhi).
(vii) Ranbaxy Laboratories Ltd., New Delhi*
(viii) Indosol Drugs Ltd., Mumbai
(ix) Aurobindo Pharma Ltd., Hyderabad
(x) Lupin Laboratories Ltd., Mumbai
(xi) European Commission, New Delhi.

* (Represented through Counsel)

B. VIEWS OF DOMESTIC PRODUCERS

(i) Gujarat Alkalies and Chemicals Ltd. is a company promoted by Government of Gujarat through Gujarat Industrial Investment Corporation and are the largest producers of caustic-chlorine in the country. In addition to caustic-soda, the company is also manufacturing Sodium Cyanide, Chloromethanes, Hydrogen Peroxide, Potassium Hydroxide, Potassium Carbonate and Phosphoric Acid at its Baroda and Bharuch (Gujarat) plants. The company has a sales turnover of Rs.705 crore (1999-2000) and employs about 1400 employees. The company's accounts are audited by Comptroller & Auditor General.

(ii) Chemplast Sanmar Ltd. is the flagship company of the Sanmar Group of Companies. It is one of the largest group based in South India. Chemplast Sanmar Ltd. commenced operations at Mettur near Salem in Tamil Nadu in May, 1967. Chemplast Sanmar Ltd. (CSL) manufactures PVC Resins, Chlorine, Chlorinated Solvents, Refrigerant Gases and Silicon Wafers. The turnover of the company is around Rs.400 crores per annum and has an employee strength of around 1200.

(iii) The import figures furnished by them in respect of Methylene Chloride have been arrived at on the basis of DGCIS data. For the year 1999-2000, the figures pertain to imports made at Kandla which have been extrapolated to arrive at a quantum of 13500 MT.

(iv) The imports to an extent became necessary till about 1996-97 due to demand and supply constraints. As CSL enhanced its capacity to produce Methylene Chloride by 7500 MT and SRF also commenced production of Methylene Chloride in the year 1997-98. It was anticipated that imports of Methylene Chloride would gradually decline, contrary to this imports have increased in absolute terms from 7390 MT in 1997-98 to 9269 MT in 1998-99 and from 9269 MT to 13500 in 1999-2000. Similarly imports were 42.25% of domestic production in the year 1997-98 which came down slightly to 40.96% of the domestic production in the year 1998-99 and increased to 59.02% of the domestic production in the year 1999-2000. The imports of Methylene Chloride have doubled within the last three years which is close to 60% of the annual production of the domestic producers and has challenged the domestic pricing of the product.

(v) International price of Methylene Chloride have been steadily falling during last 5 years. The landed cost of Methylene Chloride into India during the last 2 years has fallen by 46%.

(vi) Production of Chloromethanes is a continuous process involving production of all three products namely; Methylene Chloride, Chloroform and Carbon Tetrachloride. GACL product mix ratios are 42:36:22 for the above named products respectively while Chemplast's are 45:30:25%. This is due to their individual plant process characteristics and the actual production figures tend to vary from these ratios.

(vii) There are stringent environmental regulations in Europe and USA controlling the use of one particular Chloromethane solvent, Methylene Chloride, which is primarily used as a paint stripper. The restrictions have been imposed on the use of Methylene Chloride by the Occupational Safety and Health Administration (OSHA) USA and by the European Union Environment Council regarding volatile organic compounds (VOC). Due to this reason, and to reduce their growing inventories, the European producers were diverting and exporting their production to the far eastern countries and South East Asian markets. However, due to the fall in the economies of the eastern countries, these surplus productions are being diverted to India, which has become a highly receptive market for these surplus products.

(viii) To keep up with the steady down ward trend of prices of Chloromethanes being landed at Indian ports, the Indian manufacturers have had to correspondingly reduce their prices to be able to sell their products in the market. The option of holding on to their inventories, even on a short term, basis is not available to this industry, since (a) the storage or shelf life of the liquid products like Cholоromethanes is short and (b) the steady drop in international and CIF India prices. The prices have shown no occurrences of bouncing back to a sustainable level in the recent past based on which the decision to hold on to inventories on a short term basis can be based. Hence with every drop in CIF prices, domestic manufacturers have had to drop their own prices to a matching level on an immediate basis, to stay in the market. GACL had to reduce its Exwork price of Methylene Chloride from Rs.25968/PMT in April'98 to Rs.16944/PMT in March 2000. Similarly M/s. CSL had to reduce its Exwork price from Rs.26302/PMT in April'98 to Rs.18283/PMT in March 2000 which has affected their profitability seriously.

(ix) The Indian economy has opened its door to liberal imports, by drastically reducing customs duties in the last 6/7 years, with a steep fall from 100% to 35%. This has incentivated export of the surplus products from Europe, by adding lower duties to reduced prices.

(x) The cost of production for the Indian manufacturers have been consistently increasing for reasons beyond their control. There have been substantial increases in the prices of Methyl Alcohol, Chlorine and power, apart from wages and salaries. In this situation, the market perspective for chemicals in general, both in India and internationally, has turned bleak lately. Prices of various chemicals

have shown consistently downward trends. For example, a major product of Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd., viz. Caustic soda has seen a drastic reduction in its list price - from a high of Rs.14,057 in 1996-97 to an effective realization of Rs.7500/- today. This has dangerously compressed the margins on the overall profitability of the company. Chloromethanes which was earlier a surplus generator has turned negative. Another major product of Chemplast, viz. Polyvinyl Chloride has seen a drop in prices from a high of Rs.2580/- to a low of Rs.1850/- in recent times. Within this overall scenario, the influx of large quantities of Chloromethane is playing havoc with the present operations of the Indian producers and seriously threatening even their medium term viability.

(xi) The pressure from the European and U.S. manufacturers is relentless. Even as the budget for 1999 presented a meagre relief of 5% increase in the custom tariff, as a result of rationalization, the exporters of Europe have brought down their already low prices by another US$15, thus practically nullifying the marginal rationalization. There is no hope of the relentless downward spiral of prices in Europe and U.S.A. ever stabilizing as indicated by this trend.

(xii) The imported Methylene Chloride is identical in all respects to the one manufactured by domestic industry and has the same usage characteristics. During the last several year they have been supplying Methylene Chloride to the domestic users, in particular Pharma and Drug majors who are extremely quality conscious and none raised any serious objection regarding the quality of the product.

(xiii) The relative market share of domestic producers has declined from 70% in 1997-98 to 60% in 1999-2000.

(xiv) GACL and CSL are in the process of de-bottlenecking their existing plants and capacity utilisation are being optimised. The total requirements of the Indian chloromethane consuming industry can easily be satisfied by the domestic industry.

(xv) Both the companies viz GACL & CSL are taking effective steps to bring down their cost of production and sales adopting aggressive marketing policy; commissioning a 90 MW power plant by GACL and a 30 MW power plant by CSL to reduce the cost of power.

In addition to the above, SRF Ltd., New Delhi have stated the following:

(i) Their Chloromethanes Plant was commissioned in 1995-96 and has been designed to co-produce Methylene Chloride, Chloroform and Carbon Tetrachloride. The maximum ratio of each of product produced depends on the Plant designed and the operating parameters. The ratio of each product is varied depending on the market conditions. They do not have any captive consumption of Methylene Chloride and their entire production is sold.

(ii) As per the guidelines issued by the Government of India, production of Carbon Tetrachloride has to be phased out. They have been de-bottlenecking their plant and shifting the ratio towards Methylene Chloride. As a sequel, they have increased their ratio of Methylene Chloride production from 10% to 55% of the capacity of Chloromethanes in the last 5 years. Chloromethanes capacity was de-bottlenecked from 14500 MT per annum in 1997-98 to 18550 in 1998-99.

(iii) They have not exported Methylene Chloride in the last three years. They have not been able to utilise the 10000 MT capacity of Methylene Chloride due to unrelenting imports. Their weighted average price realisation (in tankers) per MT of Methylene Chloride which was Rs.25660/- in April 1998 – June 1998; Rs.27050/- in July 1998 – Sept.1998 declined to Rs.19020/- in Oct.-December 1999 and further declined to Rs.17180/- in January-March 2000.

C. VIEWS OF THE IMPORTERS/USER INDUSTRIES

(a) Indosol Drugs Ltd., Mumbai
(b) Aurobindo Pharma Ltd., Hyderabad
(c) Lupin Laboratories Ltd., Mumbai

They have stated mainly the following:

(i) They are large users of Methylene Chloride which is a major input for a number of bulk drugs manufactured by them for sale in domestic market and overseas. Domestically some of these products are used for combating common and widespread diseases. Having regard to the nature of the drugs, it is their constant effort to make sure that the drugs are within the reach of the general public. Accordingly cost effective manufacturing of these products is in

public interest to ensure that these products can be supplied at a reasonable cost to their consumers.

(ii) There has already been a steep increase in the cost of Methylene Chloride over the last six months by virtue of the increase in international and domestic prices and the devaluation of the Indian rupee. A further imposition of 52.57% imposition of safeguard duty would place a major burden on their cost structure which would ultimately result in increased cost for consumers for their products

(iii) The domestic industry despite operating more than their capacity have on several occasions have failed to fulfil their requirements for Methylene Chloride compelling them to rely on imports.

(d) Ranbaxy Laboratories Ltd., New Delhi.

(i) The foundation for the legal provision on safeguards can be traced to Article XIX of GATT, 1994 and to the Agreement on Safeguards. Para 1 of Article XIX enables a country to take emergency action if any product is being imported into its territory in such increased quantities in such a condition as to cause serious injury to the domestic producers of the like or directly competitive product. The increase should be as a result of unforeseen developments and because of the obligations, including tariff concessions, undertaken by a Member Country. Article XIX and the Agreement on Safeguards have to be kept in mind while interpreting the provisions of Section 8B and the Safeguard Rules. Thus, when Section 8B specifies that there must be an increase in the import of an Article "in such increased quantities", it is necessary to evaluate whether the increase is as a result of unforeseen developments and of the effect of obligations by India incurred under the GATT Agreement. Methylene Chloride falling under Heading No.2903.12 was not subject to any import restriction during the last five years. The increase in imports of Methylene Chloride was not at all due to the effect of obligations incurred by India, including the Tariff concessions. It was also not due to "unforeseen developments" as the increase was a direct consequence of the increase in demand that could not be catered to by the domestic industries. The demand could not be met by the domestic industry, inspite of their operations at over 100% capacity.

(ii) Unlike in an anti-dumping investigation where both volume and price of imports have to be considered, safeguard action is essentially a volume based action. The price of imports is a secondary factor. Once it has been established that the increased imports are due to market conditions and the inability of the domestic industry because of its capacity constraints to cater to the needs of the users, the question of serious injury to the domestic industry cannot exist.

(iii) The quantum of sales of the domestic industry has not shown any downward trend. The loss of the market share of 8% in 1999-2000 is not an indicator of injury, much less serious injury, in view of the fact that the domestic industry has lost its share only because it was operating at more than 100% capacity and could not increase its hare proportionate to the increase in consumption and not because the increased imports have eaten its market share.

(iv) The safeguard duty sought by the domestic industry has been wrongly calculated. It has been calculated on the basis of the landed value on the lowest price at which Methylene Chloride had been imported in 1999-2000 which is not a correct methodology. The weighted average cif price from April 1999 to September 2000 has to be considered for determining the landed value. As a part of cyclical ups and downs, the price of Methylene Chloride fell for a short time in early 2000. They had imported Methylene Chloride at US$ 450 per MT and had contracted for import at the same or higher price. If the safeguard duty imposed based on the lowest cif import of a stray consignment, it will result in windfall profit to the domestic industry. Under Article XIX, safeguard action should only be to the extent and for such time as may be necessary to prevent or remedy the serious injury. Keeping in view of the fact that there is no serious injury at all and the landed price is currently far in excess of fair selling price demanded by the domestic industry, there is no requirement to continue the investigation or to impose safeguard duty.

(v) In accordance with Rule 5(2)(b) of the Safeguard Duty Rules, an application for imposition safeguard duty should include a statement of the efforts being taken or planned to be taken or both to make a positive adjustment to import competition. In a safeguard action, the increased import is the factor and not the price. In fact the price is assumed to be "fair" as opposed to dumped or subsidised prices which are treated as "unfair" prices. If Rs.11,990 is a fair price and Rs.23,734 is the fair expectation of the domestic industry, the

adjustment plan should indicate measures to bridge this gap. After taking into account the prevailing level of Customs Duty, duty protection sought is Rs.6317 per MT. In other words, the adjustment plan should show a cost reduction at least to the extent of Rs.6317 whereas the applicants adjustment plan not even accounts for 1/4th of this amount. In fact, no amount of effort on their part will bring about a reduction in their cost of production by about Rs.6000/- which is a must to meet the competition. This is one more reason as to why the present safeguard investigation should be terminated.

D. VIEWS OF THE EXPORTERS

(a) Atofina, France

(i) They oppose the imposition of the safeguard duty on imports of Methylene Chloride sought by the two Indian companies, Gujarat Alkalies and Chemicals Ltd. (GACL) and Chemplast Sanmar Ltd. (CSL).

(ii) They observe from the import figures that the market share of imported product during 1999-2000 is actually less than that of 1995-96 and 1996-97. This hardly represents a targeting of the Indian market and it was merely a question of imports maintaining its regular historical market position.

(iii) They observe that the production of Methylene Chloride in India has increased by 47% from 1996-97 to 1999-2000. This large increase of production will indeed have contributed negatively to domestic pricing conditions.

(iv) The reference price of USD 275/T CIF Kandla is neither a price that is known to ATOFINA or has been used by ATOFINA for its business in India during the time of the study. Current market prices for Methylene Chloride exported from Europe (Source, ICIS-LOR report, 28th July 2000) are quoted as USD $ 370 – 430 FOB North West Europe. This would equate to a landed CIF Kandla price of USD $ 400 – 450/T at present. This price, when converted a landed cost, is considerably higher that demanded by the Indian producers as a reasonable selling price. They had exported a quantity of 1727 MT of Methylene Chloride during 1999-2000.

(v) The calculation made by the Indian producers for the landed cost of imported material has made no costing for the port charges, the rental of bulk storage at the port, surveying and analytical costs, product losses, or the cost of financing the import operation, or a margin for a distribution or trading company where the product is imported by such a company.

(b) M/s. ICI Chlor – Chemicals

(i) Their product is primarily supplied for pharmaceutical and cosmetic manufacturing (65%) agro chemicals (25%); extraction medium in the food industry (5%); polyurethane foam blousing, adhesive formulations, plastic processing, metal digressing etc. Very negligible quantities are supplied for the paint and varnish remover formulations.

(ii) They had exported the following quantities of Methylene Chloride to India during 1998-2000 viz

Year	Bulk	Drum	Total
1998	3118	1054	4172
1999	4886	1694	6580
2000 (Aug'2000)	2749	831	3580

(iii) The figures of imports mentioned by the domestic industry in their application are erroneous and they reserve their right to comment on this very crucial aspect of import quantities after actual import data is collected by DG(SG). The allegation that domestic sales in Europe are decreasing and therefore Methylene Chloride is finding its way to India is categorically denied.

(iv) The strongly believe that no injury is caused to the domestic industry due to imports of Methylene Chloride and any imposition of safeguard duties will provide undue protection to the domestic industry at the cost of the user industry which is predominantly the pharmaceutical and agrochemical sectors.

(v) The re-adjustment plan submitted by the Applicants does not deserve safeguard protection. The adjustment claimed by them have already been implemented or are part of ongoing improvements in the

ordinary course of Plant maintenance and operation. The total benefit derived by the domestic industry by adjustment will be Rs.1800/- to Rs.2300/- as against a protection sought for Rs.6739/- which in itself is an evidence to show that the adjustment plan is wholly inadequate to address the alleged injury.

(vi) Methylene Chloride has not been imported in to India in the 'increased' quantities required under Section 8B of the Customs Tariff Act. The domestic industry has suffered no injury, let alone serious injury. In fact the plants are operating at capacities in excess of 100% by their own admission. The prices of Methylene Chloride being imported into India have drastically increased in the last few months. Prices move on account of the cost of raw materials and demand and supply globally. The period that shows the reduction in prices coincided with the lowest price of raw materials in recent memory. Coupled with the South East Asian crisis, the prices were reduced globally. Both these issues have now been addressed and prices have increased drastically in the past few months.

(c) Solvay SA, Belgium

(i) Their sales of Methylene Chloride to India are not likely to cause a serious injury either to the Indian market or to the Indian domestic producers of Methylene Chloride.

(ii) Their export prices to India were corresponding to export market prices in Asia/Pacific area and were greater than their prices in European domestic market during the same relevant period.

(d) Helm AG, Germany

They have not exported Methylene Chloride to India at least for the last 4 years (1996 to August 2000). They do not accept to be claimed as one of the major exporters disturbing the Indian market by selling at low prices.

E. VIEWS OF THE EXPORTING GOVERNMENTS

(a) Embassy of Republic of Hungary, New Delhi.

Based on the export statistics of Hungary there is no evidence that Methylene Chloride have been exported to India in the last 3 years.

(b) Taiwan

(i) Their exports of Methylene Chloride to India is very limited. There were only few exports of Methylene Chloride to India in 1995 and 1996. No exports of Methylene Chloride have been effected during January 1997 till May 2000.

(ii) Under the provisions of WTO Agreement on safeguards with regard to application of safeguard measures they reserve their right to be consulted before any safeguard duty is imposed.

(c) European Commission, New Delhi

(i) India is entitled to take safeguard action under Article XIX GATT 1994, which reads 'Emergency Action on Imports of Particular Products', and the WTO Agreement on Safeguards. These provisions permit WTO countries to take safeguard action in emergency situations where only the use of exceptional measures may remedy the serious injury caused by increased imports of a given product to a domestic industry. Safeguard measures should thus only be applied where no other remedy appears appropriate. Otherwise, the application of safeguard measures risks creating serious trade disturbances, notably trade diversion, and may lead to a dangerous proliferation of trade restrictive measures world-wide. Safeguard measures should not and cannot be used as an instrument to shield the Indian industry from normal and fair import competition in circumstances where no emergency action appears to be warrants.

(ii) Safeguard measures may only apply to a product if such product is being imported in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry that produces like or directly competitive products. As a preliminary remark, the Commission notes that the Indian conclusion that prima facie imports of Methylene Chloride have threatened to cause serious injury to domestic producers of Methylene Chloride is not sufficiently substantiated. The scant information contained in the initiation notice and in the non-confidential version of the petition does not support such a conclusion, in particular having regard to the strict requirement of Article 4 (1)(b) of the WTO

Safeguard Agreement, which states that 'A determination of the existence of a threat of serious injury shall be based on facts and not merely on allegations, conjecture or remote possibility.

(iii) The application of safeguard measures, given their emergency nature, requires the existence of a substantial sharp increase in imports. The Commission doubts that import data provided by India justify any such conclusion., The figure for year 1999-2000 of 13,500 MT is an estimate provided by the petitioners and is not supported by any evidence or explanation. It is furthermore in contradiction with the figure provided by Kandla Port Trust, which is substantially lower (10,247 MT). Whatever the correct figure, the comparison with the import volumes back in 1996-97 i.e. 12,302 MT, certainly does not show a sharp increase of imports in absolute terms. The same applies if the percentage of imports relative to domestic production is taken into account (a fall from 79% in 1996-97 to 59% in 1999-2000), given that domestic production increased much more than imports in the same period. As regards the claim that prices of imports have been decreasing substantially in the period under consideration, the Commission notes that this reflects an overall world-wide trend which affects all producers of this commodity. In addition, the decreasing trend refers in particular to this product in form of bulk material. The Commission notes that around 25% of EC Exports to India are in drums, whose prices are much higher than bulk materials.

(iv) The WTO Agreement on Safeguards requires that imports cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry. Serious injury is defined in the Agreement as 'a significant overall impairment in the position of a domestic industry'. The Notice of Initiation contains very little to prove that the injury was or would be serious. The conclusion of DG(SG) is based on two isolated considerations, that imports prices have declined in the period under consideration, following a world-wide trend and that the market share of domestic producers diminished by 10% between 1997-98 and 1999-2000. However, in the same context the investigating authority appears to have disregarded the fact the Indian market for these products increased substantially as also the capacity utilisation of the domestic producers during the said period.

(v) The imports on Methylene Chloride have not increased in such a manner and under such conditions so as to threaten to cause serious injury to the Indian producers. In fact, the Commission submits that

all necessary conditions of substance and procedure for the application of safeguard measures required under Article XIX GATT 1994 and the WTO Agreement on Safeguards do not appear present in this case. The Commission also considers that the imposition of provisional safeguard measures, as requested by the petitioners would not be justified, since the conditions provided by Article 6 of the Safeguard Agreement are not met.

F. Findings

1. (i) I have carefully gone through the case records and the replies filed by the domestic producers, users/importers, exporters and exporting governments. Submissions made by various parties and the issues arising there from are dealt with at appropriate places in the findings below.

(ii) However, before discussing other issues, a preliminary issue concerning the information supplied by SRF needs to be addressed first. It has been claimed by some parties that there is no provision for including other domestic producers in the application and to accept information furnished by them after the initiation of investigation. In this regard they have also invited attention to the Safeguard Duty Rules concerning initiation of investigation, which requires the Director General to examine the accuracy and adequacy of evidence provided in the application and also the procedure prescribed in Rule 6 and 7 etc.

(iii) To consider this issue in its proper perspective, it will be necessary to consider the entire procedure of investigation as stipulated in the Safeguard Duty Rules. Rule 5 of the Safeguard Duty Rules (SGD Rules) which deals with initiation of investigation provides that :

"Except as provided in sub-rule (4) the Director General shall, on receipt of a written application by or on behalf of the domestic producers of like article or directly competitive article, initiate an investigation to determine the existence of 'serious injury' or 'threat of serious injury' to the domestic industry, caused by the import of an article in such increased quantities, absolute or relative to domestic production."

(iv) The term 'domestic industry' is defined under Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 as under:

"Domestic industry" means the producers (i) as a whole of the like article or a directly competitive article in India; or (ii) whose collective output of the like article or a directly competitive article in India constitutes a major share of the total production of the said article in India"

(v) Rule 5 also requires the Director General to examine the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application. The principles that govern investigation are provided for in Rule 6.

(vi) The investigation is thus required to be initiated after examining the accuracy and adequacy of the information provided by or on behalf of the domestic industry in the application. It is not necessary that the application must be filed by all the domestic producers, or that the producers who have not initially joined the application can not let their position be known thereafter. The notice of initiation sets the investigation process on. One of the purposes of the Notice of Initiation is to put all interested parties on notice. Even the parties not identified in the application can respond and join the investigation after initiation thereof. There is, therefore, nothing wrong in SRF joining the investigation on 23rd October 2000 by extending their support to the domestic producers. The requirement of natural justice, however, is that response filed by them should neither give them any unfair advantage nor should cause prejudice to the interests of other parties. To ensure this SRF were specifically asked at the time of Public Hearing to submit their response to the Questionnaire by 13th November 2000 and comments thereon were allowed to be made by other parties by 27th November 2000. Besides, it has been ensured that only such information is relied upon in this investigation, which passes the test of scrutiny. Information furnished by SRF which does not meet with the above requirement or which could not be subject to verification, such as, their cost of production has not been considered in the present investigation. Keeping this in view, the findings below are made.

2. Product under Investigation

(i) The product under investigation is Methylene Chloride, a solvent belonging to the Chloromethane family of solvents. The other

two products in the family are Chloroform and Carbon Tetrachloride. Methylene Chloride is a colourless volatile liquid with a chloroform like odour. Also known as Dichloro Methane, it has the chemical formula: CH2Cl2.

(ii) There are basically two routes for producing Chloromethanes, i.e. either using Methane or Methanol as the basic raw material. The Methane based process uses thermal chlorination of Methane. The reaction between Chlorine and Methane, the natural gas constituent, in the presence of light or a catalyst, is the most important process in the manufacture of Chloromethanes. Depending upon the adjustment of the process parameters, the predominant yield is methyl chloride, which is recycled by chlorination to obtain Methylene Chloride. Proportionately smaller amounts of Chloroform and Carbon Tetrachloride are obtained in the process. Methane is mixed with chlorine and the reactor fitted with arc lamps to above atmospheric pressure and with the residence times controlled so that the chlorine is used up completely. Secondary Chlorination take place at ambient temperature in a light catalyzed reactor, which converts Methylene Chloride to Chloroform, and in other reactors Chloroform is similarly converted to Carbon Tetrachloride.

(iii) In the Methanol route, methyl chloride is produced in the first stage of the reaction by hydro chlorination of methanol with hydrogen chloride. The second stage of the process involves either thermal chlorination or photo chlorination of methyl chloride to produce a mixture of all the four products; i.e. un-reacted methyl chloride, Methylene Chloride, Chloroform and Carbon Tetrachloride. The above products are subsequently separated and purified in the downstream towers.

(iv) GACL produces Methylene Chloride using Methane route while Chemplast and SRF both use Methanol route to produce Methylene Chloride.

(v) Methylene Chloride is used in the Photo films, bulk drugs and pharmaceutical industry. Methylene Chloride is also used in the manufacture of foam, resin casting, fumigants and agrochemicals.

(vi) Methylene Chloride is classified under heading 2903.12 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 and under 29031200 of the Indian Trade Classification based on Harmonised Commodity

Description and Coding System. The above classification, however, is indicated for the purpose of convenience and in no way restricts the scope of the coverage of the product under investigation.

(vii) There is no dispute about the domestically produced Methylene Chloride being a product alike the imported Methylene Chloride.

3. **Domestic Industry**:

(i) There are three domestic producers of Methylene Chloride namely (a) GACL (b) Chemplast and (c) SRF.

(ii) GACL have an installed capacity of 21120 MT per annum to produce Chloromethane with 8910 MT per annum to produce Methylene Chloride. The installed capacity of Chemplast to produce Methylene Chloride was 6000 MT per annum till 1996-97, which has been increased to 13500 MT per annum in 1997-98 out of a total Chloromethane capacity of 30,000 MT per annum. As regards SRF, which started manufacturing Methylene Chloride only in 1997-98, the applicants claimed the installed capacity of SRF to be 4800 MT per annum to produce Methylene Chloride, out of a total capacity of 21,000 MT per annum for the Chloromethane. In their letter dated November 9, 2000, however, SRF have stated their installed capacity of Chloromethane to be 18500 MT per annum and as per their design, they can produce upto 55% Methylene Chloride i.e. they have a capacity to produce 10,175 MT per annum of Methylene Chloride.

(iii) In 1999-2000, GACL, Chemplast and SRF accounted for a production of 8721 MT, 14151 MT and 3266 MT of Methylene Chloride respectively.

(iv) The application for imposition of safeguard duty on imports of Methylene Chloride was filed by GACL and Chemplast. SRF did not disclose its position at that time. Subsequently, however, SRF vide their letter dated 23.10.2000 have expressed their desire to support the applicants. At the time of Public Hearing on 07.11.2000, SRF were asked to file a reply to the Questionnaire for the domestic producers, which was submitted by them on 13.11.2000.

(v) It is accordingly considered that the request for imposition of safeguard duty on Methylene Chloride has been made by the domestic industry comprising of all the three domestic producers.

4. **Increased Imports:**

(i) Methylene Chloride is imported into India from Belgium, Brazil, P.R.China, Chinese Taipei, France, Germany, Hongkong, Hungary, Israel, Italy, Japan, the Netherlands, Russia, Spain, Switzerland, U.K. and U.S.A.

(ii) The import duty (basic customs duty + surcharge, if any) on Methylene Chloride was 65% advalorem in 1994-95, which was brought down subsequently to 50% in 1995-96, 40% in 1996-97 and to 35% in 1997-98 before raising to 38.5% on 01.03.1999. The imports were allowed without any quantitative restrictions to enter into India from 1995-96 onwards.

(iii) The Cif prices of imported Methylene Chloride during the period 1997-1999 and the prices of Chlorine and Methanol during the same period were as under:

Table-I

(Prices in US $ PMT)

Year	1997				1998				1999			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Methylene Chloride	678	625	608	661	612	590	518	521	465	386	331	317
Chlorine	135.3	167.9	139.5	160.2	141.1	93.58	71.66	28.4	39.03	63.56	139	209.2
Methanol	241	211	196	179	118	102	98	98	98	124	124	105

It is seen from the above that while the prices of both the raw materials declined during the period from Q1 of 97 to Q4 of 98, they showed an increasing trend thereafter. The prices of Chlorine increased substantially thereafter during each of the quarter upto Q4 of 1999 and the prices of Methanol also ruled higher as compared to Q4 98 prices. As against this the prices of Methylene Chloride kept with the trend of declining raw material prices during the period Q1 of 1997 to Q4 of 1998 but did not rise thereafter keeping with the trend of rising raw material prices. Instead the CIF prices of Methylene Chloride kept on declining sharply from a level of US$ 521 PMT to US$ 317 PMT during the period Q4 of 1998 to Q4 of 1999.

(iv) The imports of Methylene Chloride into India were 10776 MT in 1995-96, 12032 MT in 1996-97, 7390 MT in 1997-98 and 9296 MT in 1998-99. As regards 1999-2000, the applicants claimed the imports

to be 13500 MT on an estimated basis. They have submitted that the import figures for 1999-2000 were not available in Public Domain. According to them, out of the total imports of 9269 MT in 1998-99, 6760 MT were imported through Kandla Port, which accounted for 72.93% of the total imports of Methylene Chloride into the country. In 1999-2000, the imports of Methylene Chloride through Kandla, were 10247 MT. Assuming the same ratio of 73% of the total quantity of Methylene Chloride being imported through Kandla, the imports of Methylene Chloride in 1999-2000 worked out to about 14050 MT. The applicants, however, claimed the imports of Methylene Chloride into India as 13500 MT during 1999-2000.

(v) Various parties have questioned the quantum of imports of Methylene Chloride in 1999-2000 as estimated by the applicants. In this regard, it is observed that the Kandla Port Trust Authorities have confirmed imports of 10247 MT of Methylene Chloride through Kandla Port in 1999-2000. Atofina have confirmed their imports for 1999-2000 as 1727 MT, and another 800-1000 MT of Methylene Chloride being imported in drums in 1999-2000. Atofina, therefore, have claimed the total imports to be 12774 MT instead of 13500 MT. The import figures were however, verified through the DGCIS and the Customs authorities. According to the reports received from them, the country wise imports during 1999-2000were as under:

Table-2

Name of the Country	**Quantity (MT)**
Chinese Taipei	40.248
P.R.China	20 124
Denmark	5.5
France	1727(As confirmed by Atofina)
Germany	4730.896
Hongkong	20.124
The Netherlands	1763.247
South Africa	25.378
U.K.	5238.477
U.S.A.	100
Total	**13670.994**

On the basis of above data it is observed that total imports of Methylene Chloride in 1999-2000 were 13670.994 MT.

(vi) The Table below indicates the figures of domestic production and imports of Methylene Chloride for the period 1995-96 to 1999-2000.

Table-3

Year	Domestic production (MT)	Imports (MT)	Imports as percentage of domestic production
1995-96	16340	10776	65.95
1996-97	15588	12302	78.92
1997-98	19111	7390	38.67
1998-99	25091	9269	36.94
1999-2000	26138	13671	52.30

It is observed from the data tabulated above that the imports which were 10776 MT in 1995-96 increased to 12302 MT in 1996-97, declined subsequently to 7390 MT in 1997-98 but increased thereafter to 9269 MT in 1998-99 and to 13671 MT in 1999-2000. The imports of Methylene Chloride in India thus increased from 10776 MT in 1995-96 to 13671 MT in 1999-2000. As compared to domestic production, however, the imports were about 66% in 1995-96, which decreased to 37% in 1998-99 but increased subsequently to 52.30% in 1999-2000.

(vii) It has been argued by various parties that imports of Methylene Chloride into India during 1995-96 to 1999-2000 can not be considered to meet with the requirement of increased imports as required under the law. In the context of increased imports it has also been argued that the increase in imports is to be considered keeping in mind the WTO Panel Report in the Argentina Footwear case. In this case, the Panel observed:

> "We believe that in assessing whether an end-point-to-end-point increase in imports satisfies the increased imports requirement of Article 2.1, the sensitivity of the comparison to the specific years used as the end-points is important as it might confirm or reverse the apparent initial conclusion. If changing the starting-point and/or ending point of the investigation period by just one year means that the comparison shows a decline in imports rather than an increase, this necessarily signifies an intervening decrease in imports rather than an increase, thus calling in to question the conclusion that there are increased imports."

> "If an increase in imports is in fact present this should be evident both in an end-point-to-end-point comparison and in analysis of the intervening trends over the period. That is the two analyses should be mutually reinforcing".
>
> "The Agreement is clear that it is the data on import quantities, both in absolute terms and relative to the (quantity of) domestic production that are relevant in this context, in that the Agreement refers to imports "in such increased quantities" (emphasis added). Therefore, our evaluation will focus on the data on import quantities."

(viii) In regard to the requirement under the law, it is observed that Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 empowers the Government to impose safeguard duty on an article, if it is satisfied that the article is imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threatening to cause serious injury to domestic industry. Further, the term 'increased quantity' has been defined under the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 to include increase in imports whether in absolute terms or relative to domestic production. In the present case, on an end-point-to-end-point basis, there is undoubtedly an increase in the imports in absolute terms, compared to any previous years. The increasing trend of imports, reversed only in 1997-98 when it declined from 12302 MT to 7390 MT. There was, however, a significant development during this period, which has an important bearing on the analysis of increased imports. This development is concerning the production capacity of the domestic producers, being 14910 MT till 1996-97 but increasing substantially in 1997-98 due to expansion of chloromethanes production capacity of Chemplast to 30000 MT per annum which resulted in enhancement of their Methylene Chloride capacity from 6000 MT per annum to 13500 MT per annum, and setting up of Methylene Chloride manufacturing facility by SRF in 1997-98 with a total Chloromethanes capacity of 14500 MT per annum. As a result of these developments, the domestic industry had a capacity to produce (22410 + 55% of 14500) 30,385 MT per annum of Methylene Chloride in 1997-98. The sharp decline in imports in 1997-98 appears to be a consequence of this development. In the present case, therefore, the import trend

particularly for the period from 1997-98 to 1999-2000, reflects more realistically upon the current state of the domestic industry.

(ix) During the period 1997-98 to 1999-2000, the imports of Methylene Chloride into India increased from 7390 MT in 1997-98 to 9269 MT in 1998-99 and to 13671 MT in 1999-2000. The imports during this period, as compared to domestic production stood at 38.67%, 36.94% and 52.30% respectively. The imports of Methylene Chloride into India, thus increased both in absolute term as well as compared to domestic production.

(x) It has also been argued by some parties that it is necessary to evaluate whether the increase is as a result of unforeseen developments and of the effect of obligations incurred by India under the GATT. In the context of "as a result of unforeseen developments" attention has also been invited to the Hatters' Fur case in which this expression was interpreted by the Working Party as under:

"The term 'unforeseen development' should be interpreted to mean developments occurring after the negotiation of the relevant tariff concession which it would not be reasonable to expect that the negotiators of the country making the concession could and should have foreseen at the time when the concession was negotiated."

In regard to the term "unforeseen developments" both in the Argentina Footwear case and in Korean Dairy Products case the Appellate Body observed that:

"To determine the meaning of the clause "as a result of unforeseen developments and of the effect of the obligations incurred by a Member under this Agreement, including tariff concessions"... in sub-paragraph (a) of Article XIX:1, we must examine these words in their ordinary meaning, in their context and in light of the object and purpose of Article XIX. We look first to the ordinary meaning of these words. As to the meaning of "unforeseen developments", we note that the dictionary definition of "unforeseen", particularly as it relates to the word "developments", is synonymous with "unexpected". "Unforeseeable", on the other hand, is defined in the dictionaries as meaning "unpredictable" or "incapable of being foreseen, foretold or anticipated" (emphasis added). Thus, it seems to us that the ordinary meaning of the phrase " as a result of unforeseen

developments" requires that the developments which led to a product being imported in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to domestic producers must have been "unexpected". With respect to the phrase "of the effect of the obligations incurred by a Member under this Agreement, including tariff concessions", we believe that this phrase simply means that it must be demonstrated, as a matter of fact, that the importing Member has incurred obligations under the GATT 1994, including tariff concessions (emphasis added). Here, we note that the Schedules annexed to the GATT 1994 are made an integral part of Part-I of that Agreement, pursuant to paragraph 7 of Article II of the GATT 1994. Therefore, any concession or commitment in a Member's Schedule is subject to the obligations in Article II of the GATT 1994."

The Appellate Body has thus distinguished between 'unforeseen' and 'unforeseeable'. They have held 'unforeseen developments' to be synonymous with 'unexpected developments'. The phrase ".. which it would not be reasonable to expect that the negotiators of the country making the concession could and should have foreseen at the time when the concession was negotiated", however, appears to set different standard which fall more in the realm of "unforeseeable", which the Appellate Body has distinguished from "unforeseen".

(xi) As regards the developments that have resulted in increased imports, the applicants have mentioned that the general use of Methylene Chloride as a paint stripper, is now being restricted due to stringent European and American Environmental regulations. Consequently, the European producers have started looking at markets for their surplus production. They have also produced a copy of 'Final Rule' effective April 10, 1997 issued by the Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA in support of their contention. Besides, in the past, the surplus production was diverted to the South East Asian Markets, which due to set back in their economics started finding its way to other markets, including India. It has also been accepted by some parties that, "the period that shows reduction in prices coincided with the lowest price of raw materials in recent memory. Coupled with the South Asian Crisis, the prices were reduced globally." It has been argued by some parties that the petitioners allege that domestic sales are decreasing in Europe as a result of environmental regulations, however, proof is provided of

OSHA Regulations, which pertains to the US. In this regard it is observed that while it is a matter of fact that OSHA Regulations pertain to the US, the applicants have produced a copy of E.C.S.A. (European Chlorinated Solvent Association) Bulletin of August 2000 giving details of European Solvent Sales in 1999. It clearly mentions that "the Western European market for virgin chlorinated solvents totaled 303,000 tonnes in 1999, a decrease of 1.6% compared to 1998, according to combined ECSA sales data and Eurostat-import figures." It further reports "the influence of the VOC or Solvent Emissions Directive largely explains decreasing Western European chlorinated solvent sales volume. It must be implemented in EU member-states by April-2001 when new installations will have to meet stringent emission limits. All new investments are already taking these limits into account"

The ECSA Bulletin also reveals that the Methylene Chloride sales which increased from 141 thousand MT in 1996 to 151 thousand MT in 1997, stabilized thereafter to 150 thousand MT in 1998 and 1999. From the above discussion, it is evident that use of Methylene Chloride has been regulated not only in the US but also in the Europe.

Besides, it is a matter of fact that while the domestic industry has been opened to face competition from global producers, it lacks provision of international competitive environment for the factors responsible for production at internationally competitive prices. It is common knowledge that power, fuel and financing could not be made available in India at prices compared to international levels. The increase in imports clearly is a result of all these unexpected developments.

(xii) As regard the obligations incurred by India in respect of Methylene Chloride it is appropriate to mention that Methylene Chloride is one of the products in respect of which India has, inter alia, incurred the obligation of both providing tariff concessions by including it in its Schedule of Concession and unrestricted importability i.e. allowing imports of Methylene Chloride without any quantitative restrictions.

(xiii) In view of the above analysis, it is observed that Methylene Chloride has been imported into India in increased quantities. The imports of Methylene Chloride have increased both in absolute terms as well as compared to domestic production, particularly during

1997-98 to 1999-2000, which is the period that reflects more realistically on the current status of the domestic industry. The imports have increased as a result of unexpected developments and of the effect of obligations incurred by India.

5. **Serious Injury**:

(a) It has been argued by some parties that it is not adequate that imports must be increased, but the imports 'must also be made under such conditions so as to cause or threaten to cause serious injury. In this regard reliance has been placed upon the Panel Report in Argentina Footwear case which states:

"In our view, the phrase "under such conditions" does not constitute a specific legal requirement for a price analysis separate and apart from the increased import, injury and causation analyses provided for in Article 4.2 We consider that Article 2.1 sets forth the fundamental legal requirements (i.e. the conditions) for application of a safeguard measure, and that Article 4.2 then further develops the operational aspects of these requirements. We believe that the phrase "under such conditions" would indicate the need to analyze the conditions of competition between the imported product and domestic like or directly competing products in the importing country's market."

(b) Clause 6(c) of Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975, defines 'serious injury' to mean an injury causing significant overall impairment in the position of a domestic industry and Sub-clause (d) defines 'threat of serious injury' to mean a clear and imminent danger of serious injury. Further in determining whether increased imports have caused or threatening to cause serious injury to a domestic industry, the Annex to the Safeguard Duty Rules requires the Director General to evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular, the rate and amount of increase in imports of the article concerned in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilisation, profits and losses and employment. These factors are analysed below:

(I) Production: The production of Methylene Chloride by the domestic producers was 16340 MT in 1995-96. Except for a small

decline in 1996-97 to 15588 MT, the domestic production increased thereafter to 19111 MT in 1997-98, 25091 MT in 1998-99 and to 26138 MT in 1999-2000. The domestic production in 1997-98 increased by 3523 MT or 22.6% over 1996-97. In 1998-99, the domestic production increased by 5980 MT or 31.3% over 1997-98. In 1999-2000, however, the domestic production increased by 1047 MT only i.e. by about 4.2% over 1998-99.

(II) Capacity Utilisation: The domestic industry had a capacity to produce 14910MT per annum of Methylene Chloride in 1995-96 and 1996-97. Chemplast, however, expanded their Chloromethanes capacity to 30,000 MT per annum and SRF also set up their Chloromethanes plant in 1997-98. As a result, the capacity of the domestic industry increased to 30,385 MT per annum in 1997-98. Owing to further improvement made by SRF, the capacity has increased to (22410 + 10175) 32585 MT per annum in 1998-99 and 1999-2000. During the years 1995-96 to 1999-2000, the total domestic production was 16340 MT, 15588 MT, 19111 MT, 25091 MT and 26138 MT respectively. The capacity utilisation of the domestic industry, therefore, was 109.6%, 104.5%, 62.9%, 77% and 80.2% respectively. The domestic industry, thus suffered a loss in capacity utilisation in the period 1997-98 to 1999-2000 as compared to 1995-97, but during 1997-98 to 1999-2000, it showed an improvement in capacity utilisation from 62.9% to 80.2%.

(III) Sales

(i) The Table below gives the figures of domestic sales of Methylene Chloride by the three domestic producers for the period from 1995-96 to 1999-2000.

Table-4
Domestic Sales in MT

Year	GACL	Chemplast	SRF	Total
1995-96	9273	6092		15365
1996-97	9002	5617		14619
1997-98	7459	9156	1583	18198
1998-99	8207	12355	2405	22967
1999-2k	8152	12822	3307	24281

From the data tabulated above, it is observed that the domestic sales of the domestic industry have increased from 15365 MT in 1995-96 to 24281 MT in 1999-2000.

(ii) The apparent domestic consumption during the period, however, was as given in Table below:

Table-5
Apparent Domestic Consumption (MT)

Year	Domestic Sales	Imports	Apparent Domestic Consumption
1995-96	15365	10776	26141
1996-97	14619	12302	26921
1997-98	18198	7390	25588
1998-99	22967	9269	32236
1999-2000	24281	13671	37952

From the data tabulated above, it is observed that the apparent domestic consumption was on an average 26217 MT per annum during the period 1995-96 to 1997-98, which increased substantially in 1998-99. As compared to the immediately preceding year 1997-98, the apparent domestic consumption in 1998-99, increased by 6648 MT or by about 26%. The domestic sales also registered a similar growth of 26.2% over 1997-98. In 1999-2000, however, the apparent domestic consumption increased by 17.73% but the domestic sales increased only by 5.72%. The domestic sales thus did not grow keeping pace with the growth in apparent domestic consumption. Even the small growth of 5.72% in domestic sales was achieved only by drastically reducing the sale price by the domestic producers.

(iii) The net sales value in the case of GACL declined from Rs.30121 PMT in 1998-99 to Rs.20927 PMT in 1999-2000 or by about 30%. In the case of Chemplast, the net sales value declined from Rs.25117 PMT in 1998-99 to Rs.20344 PMT in 1999-2000 i.e. by about 19% and in the case of SRF, the net sales value declined from Rs.23120 PMT (sales in tankers) to Rs.18750 PMT respectively i.e. by about 19%. It is thus observed that the domestic producers could not keep their share in the apparent domestic consumption and the small growth which they achieved was as a result of decline in sales prices by about 19% to 30%.

(IV) Stocks

The closing stock of the three domestic producers was 289 MT in 1995-96 which increased to 376 MT in 1996-97 and to 515 MT in 1997-98 before declining to 196 MT in 1998-99. In 1999-2000, however, the closing stocks increased to the highest level of 580 MT.

(V) Employment

All the three domestic producers have reported no loss in employment.

(VI) Productivity

The domestic producers also have registered no loss of productivity i.e. production per employee on account of the fact that production has increased during the period from 1997-98 to 1999-200 and there is no loss of employment.

(VII) Profitability

The reduced sales realisation had its effect on the profitability of the three domestic producers as far as their Methylene Chloride operations were concerned. In the case of GACL, their profit on Methylene Chloride has fallen drastically in 1998-99 and turned into losses in the year 1999-2000, as verified from the sales realisation and cost of production data. Similarly, in the case of Chemplast also, profit in 1998-99 has turned into losses in 1999-2000. Thus both the applicant companies which were making profits on their Methylene Chloride operation have incurred losses in 1999-2000.

(c) From the above analysis, it is observed that while the domestic industry registered an improvement in production, capacity utilisation and productivity, they lost their market share, suffered lower sales realisations, profits turning into losses and building up of some stocks. Further, the domestic producers, in order to distribute the fixed costs and thus minimize the injury, had to operate at optimum levels which in no way appears to be a reflection of their improved performance. Some of the parties have argued that price is not an important factor in the injury analysis in safeguard cases. This is, however, not tenable. In fact, price at which the goods are sold in the domestic market is one of the most important factors having a bearing

on the injury suffered by it. Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 which empowers the Central Govt. to impose safeguard duty stipulates that "if the Central Govt., after conducting such enquiry as it deems fit, is satisfied that any article is imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threatening to cause serious injury to domestic industry, then it may, be notification in the Official Gazette, impose a safeguard duty on that article". It is amply clear from a plain reading of this Section that conditions under which the increased imports take place needs to be investigated for imposition of safeguard duty and, therefore, price at which imports entered into India needs surely to be looked into as price is one of the most important factor that needs consideration in taking a decision to source material. In determination of serious injury or threat thereof, the law requires an examination of change in level of sales, profitability etc. of the domestic producers. These factors undoubtedly depend upon the prices of competing products and in that context import prices do become relevant and require an examination, specially to assess their effect on the domestic situation.

In view of the above, the domestic producers of Methylene Chloride are under a threat of serious injury if the imports of Methylene Chloride are allowed unabated.

6. **Cause of Injury:**

(i) As regards the cause of injury, it is observed that the CIF import prices of Methylene Chloride have been declining during 1997-98 through 1999-2000. The CIF price which was 678 US$ PMT in the First Quarter of 1997, declined to 625 US$ PMT in the Second Quarter; 608 US$ PMT in the Third Quarter of 1997. In the last Quarter of 1997, the price increased to US$ 661 PMT but declined again to 612 US$ PMT in the First Quarter of 1998. The CIF import prices declined sharply thereafter from US$ 590 PMT in the Second Quarter of 1998 to US$ 518 PMT in the Third Quarter of 1998, US$ 465 PMT in the First Quarter of 1999, to US$ 386 PMT, US$ 331 PMT and US$ 317 PMT in the Second, Third and the last Quarter of 1999. In the First Quarter of 2000, the CIF import prices declined further to US $ 270 to 275. In terms of Rs. PMT the CIF prices declined from Rs. 14545 in the Second Quarter of 1999 to Rs.13626 in the Fourth Quarter of 1999. At the same time the imports of Methylene Chloride into India kept on increasing. The imports of Methylene Chloride, which were 7390 MT in 1997-98 increased to

9269 MT in 1998-99 and to 13671 MT in 1999-2000. The imports thus increased by about 25.3% in 1998-99 over 1997-98 and by about 47.5% in 1999-2000 over 1998-99. As compared to this increase in imports, the domestic production in 1998-99 increased by 32.4% over 1997-98 but in 1999-2000 the production increased by only 4.2%. The domestic producers tried to maintain their share in the apparent domestic consumption by reducing their sale prices. The net sales value in the case of GACL declined from Rs.30,121 PMT in 1998-99 to Rs.20,927 PMT. In the case of Chemplast, the net sales value declined from Rs.25117 PMT in 1998-99 to Rs.20344 PMT in 1999-2000. In the case of SRF it declined from Rs.23120 PMT (tanker sales) in 1998-99 to Rs.18750 PMT (tanker sale) in 1999-2000. In spite of this sharp decline in sales price, the domestic producers could not retain their market share. In 1999-2000, the apparent domestic consumption increased by 17.73% but the domestic producers could register a growth of only 5.72%. They lost a share of (117.73% **X** 22976 – 24281) 2769 MT in 1999-2000. The market share lost by them was gained by the imports, which increased by an additional (13671 – 9269x117.73%) 2759 MT.

(ii) The injury to the domestic producers of Methylene Chloride has thus been caused by the increased imports of Methylene Chloride. It has been argued by some parties that if the cause of injury to domestic producers was cheaper imports, it does not hold good any longer as the import prices of Methylene Chloride have shown substantial improvement currently, that is. in the later half of 2000. It has been submitted that the current CIF prices for Methylene Chloride are US$ 450 PMT and as per the applicants own submission the non injurious price was US$ 350 PMT.

(iii) In this, regard, it is observed that the current CIF prices of Methylene Chloride can not be the basis for arriving at a decision since this is post investigation price having no bearing on the prices prevailing during the period under consideration. The import prices may have increased due to various factors, which would also influence the domestic cost of production. It is neither practicable nor desirable to base the findings on post investigation prices.

(iv) Some parties have also argued in favour of a trigger price mechanism i.e. safeguard duty be imposed only on imports entering at a price lower than a reference price. This, suggestion, however, does not appear to be legally tenable in the context of safeguard

investigation as that would give it a colour of a price based measure where the low priced imports, although not unfair, would get discriminated and charged to safeguard duty, whereas the higher priced imports would not attract safeguard duty. This does not appear to meet with the objectives of safeguard measures which encourages the domestic producers to make efforts to become competitive, rather than encouraging inefficiency for the domestic industry or for the exporters. The trigger price mechanism on the contrary penalises the efficient foreign producers, while encouraging the inefficient producers.

7. **Adjustment Plan**

(i) The applicants have submitted a restructuring plan indicating details of efforts being taken and planned to be taken to make a positive adjustment to improve their competitiveness. The applicants have stated that they have been regularly upgrading their technology and de-bottlenecking their manufacturing facilities with the objective of reducing the operative cost per unit of Methylene Chloride.

(ii) M/s. GACL had initially claimed that the reduction in the cost of Methylene Chloride per MT would be on following accounts:

(a) Savings on account of packaging
(b) Substituting use of furnace oil with natural gas to achieve reduction in cost of steam, and
(c) Substituting Naptha with natural gas and wheeling of power to reduce the cost of production

(iii) It has specifically been stated by GACL in their application that the replacement of Naptha with natural gas will be achieved in the next 12 months and GACL will be in a position to reduce the cost of production of Methylene Chloride by about Rs.(confidential)PMT over a period of 3 years. Similarly, Chemplast had stated that by drawing power from captive generation they will achieve a saving of Rs.(confidential)PMT of Methylene Chloride. In their response to the questionnaire and written submissions made during the Public Hearing, GACL have stated that Chlorine and power cost are the major inputs for manufacture of Methylene Chloride. In order to cut down Chlorine cost they have tied up with M/s. Gujarat Sate Petroleum Corporation for supply of natural gas to enable them change over to natural gas from Naphtha as a feedstock for their

90MW captive power plant being operated in Dahej. They have proposed wheeling the low cost power from Dahej to Baroda plant which will help them to reduce the power cost and as a sequel the cost of Chlorine and in turn cost of Methylene Chloride. They have also stated that reduction in power cost will reduce the cost of power consumed in the manufacture of Methylene Chloride. Besides, they have also stated that they are making efforts to reduce the packing cost and discussing with various financial institutions to bring down the cost of their borrowing which is expected to bring down the cost of Methylene Chloride further. Similarly, Chemplast have stated that they propose to operate their plant at lower molar ratio so as to maximize production of Methylene Chloride. They have stated this would result in a cost saving of Rs.(confidential)PMT and further they anticipate reduction in cost of Methylene Chloride to the extent of Rs.(confidential) by importing Methanol at Cochin instead of at Kandla. The domestic producers, therefore, requested for imposition of safeguard duty for a period of three years.

(iv) The adjustment plans furnished by the applicants have been examined. In view of the fact that most of the imported Methylene Chloride arrives in tankers, price comparison needs to be made for Methylene Chloride sold in bulk. The cost reduction efforts on account of packaging have, therefore, to be excluded. Besides, imposition of safeguard duty for three years needs to be considered in its right perspective. It is considered after due analysis of the restructuring plan, and keeping in view the possibility of implementation of the plans, protection for a shorter duration of one year alone should be adequate for the domestic producers to prevent occurrence of serious injury.

8. **Public interest:**

(i) Some of the parties have argued that imposition of safeguard duty would not serve any public interest. On the contrary imposition of safeguard duty would place a major cost burden on a number of end user industry, in particular, bulk drug manufacturers and would ultimately result in increased costs for consumers of their products. However, the applicants have stated that the impact of cost of Methylene Chloride would be negligible vis-à-vis the final formulated product price, to be paid for by the consuming public.

(ii) In this regard, it is observed that the expression 'public interest' does not cover in its ambit consumer interest alone. It is a much wider term, which covers in its ambit the general social welfare taking into account the larger community interest. While the imposition of safeguard duty may result in increased cost of imported Methylene Chloride in the hand of buyers and therefore, it may also affect the end products manufactured therefrom, it is important to keep in mind the objective of imposition of safeguard duty. The purpose of imposition of safeguard duty is to provide time to the domestic industry to make positive adjustment to meet with the new situation of competition offered by the increased imports. The imposition of safeguard duty, for the period and to the extent just adequate, would, therefore, not only minimize the adverse effect, if any, for the customers but also allow them a wider choice to source their requirements, and at competitive prices. The domestic producers who have set up plants with huge public investments provide employment to a large number of people and make valuable contribution to the national economy. Safeguard duty, which would enable the domestic producers to survive in the face of competition offered by the increased imports, will, therefore, also be in the long term interest of the buyers of Methylene Chloride as well as of the buyers of products manufactured therefrom. It is, therefore, considered that imposition of safeguard duty on Methylene Chloride will be in the public interest.

9. **Provisional Safeguard Duty**

In view of the fact that after completing the investigations final findings are being issued in this case, it is not considered necessary to record any preliminary findings for the purpose of imposition of provisional safeguard duty.

10. **Share of Countries in Exports to India**

On the basis of information as verified, in regard to imports of Methylene Chloride into India during the period 1999-2000, the share of various countries in India's imports were as under:

Table-6

Country/Territory	Imports (MT)	%age share
Chinese Taipei	40.248	0.29
P.R.China	20.124	0.15
Denmark	5.5	0.04
France	1727	12.63
Germany	4730.896	34.60
Hongkong	20.124	0.15
The Netherlands	1763.247	12.90
South Africa	25.378	0.18
U.K.	5238.477	38.33
U.S.A.	100	0.73
Total	**13670.994**	**100**

11. **Conclusion and Recommendation**

(i) In view of the findings above, it is concluded that increased imports of Methylene Chloride into India have threatened to cause serious injury to the domestic producers of Methylene Chloride and it will be in the Public interest to impose safeguard duty for a period of one year on imports of Methylene Chloride into India.

(ii) In arriving at the amount of safeguard duty that would be adequate to prevent serious injury to the domestic industry and to facilitate positive adjustment, weighted average cost of production (bulk) for GACL and CSL has been taken into account for the entire period 1999-2000, being more reflective of the true costs for the whole year. The domestic producers have claimed a certain amount of profit on the basis of expected return on capital employed etc. However, a lower profit (confidential) has been considered appropriate and allowed. Similarly the CIF import prices of Methylene Chloride have also been considered on weighted average basis for the last six months i.e. October 1999 – March 2000. Adjustment has been made in the CIF import price for landing charges. The extent of protection has also been considered on the basis of benefit likely to occur from the restructuring of the domestic industry, and only the minimum level of protection is being recommended that would facilitate the domestic industry to make a positive adjustment. Accordingly, it is recommended that safeguard duty be imposed on import of Methylene Chloride into India at the

rate specified below at advalorem basis for a period of one year as under being the minimum necessary for the protection of the domestic industry from the serious injury threatened to be caused by the increased imports of Methylene Chloride.

Level of total protection recommended %	Existing protection %	Safeguard duty recommended % (2)-(1)
(1)	(2)	(3)
38.5+ 11	38.5	11

[F No SG/INV/2/2000]

R K GUPTA, Director General

Printed by the Manager, Govt of India Press Ring Road Mayapuri, New Delhi 110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054